

सीएजी की निरीक्षण भूमिका

2.1 सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सरकारी कम्पनी तथा सहित मानी गई सरकारी कम्पनी के लेखापरीक्षक (सांविधिक लेखापरीक्षक) इन कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करता है। इसके बाद की गई पूरक लेखापरीक्षा के आधार पर सीएजी टिप्पणियां अथवा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का अनुपूरक जारी करता है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षा है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए और एक प्रतिवेदन संसद को प्रस्तुत किया जाए। पूरक/नमूना लेखापरीक्षा के अतिरिक्त सीएजी विशिष्ट विषयों और क्षेत्रों की निष्पादन लेखापरीक्षा करते हैं।

2.2 सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

2.2.1 सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति में वास्तविकता

मानी गई सरकारी कम्पनियों सहित सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति कम्पनी अधिनियम, 1956 तथा कम्पनी (संशोधन) अधिनियम, 2000 की धारा 619(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में सीएजी द्वारा की जाती है। इस प्रयोजन के लिए सीएजी द्वारा सनदी लेखाकारों के फर्म के एक पैनल का रखरखाव सनदी लेखाकारों के पात्र फर्मों से प्रत्येक वर्ष आवेदन पत्र मंगा कर किया जाता है। इस प्रकार गठित पैनल का उपयोग आगामी वित्त वर्ष के लिए सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसईज) के सांविधिक लेखापरीक्षकों के चयन के लिए किया जाता है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति नियमित आधार पर वार्षिक रूप से की जाती है।

नियुक्ति के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों का चयन सनदी लेखाकारों की प्रत्येक फर्म लेखापरीक्षा समनुदेशन के आकार के साथ करते हैं, द्वारा अर्जित प्राप्तांक से सह संबंध स्थापित करके किया जाता है। फर्म आबंटित लेखापरीक्षा करने में समर्थ है यह निर्धारित करने के लिए, प्राप्तांक फर्म के अनुभव, भागीदारों की संख्या और फर्म से उनका साहचर्य, सनदी लेखाकार कर्मचारियों की संख्या के आधार पर होता है कि फर्म के पूर्ववृत्त सुस्थापित हैं।

प्रणाली सुनिश्चित करती है कि सनदी लेखाकार फर्मों को लेखापरीक्षा का आबंटन वस्तुनिष्ठता से क्षमता की योग्यता के आधार पर किया जाता है।

2.2.2 वर्ष 2013-14 के लिए सीपीएसईज़ के सांविधिक लेखापरीक्षकों की समय से नियुक्ति

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 के साथ पठित धारा 166 और 230 के अन्तर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए प्रत्येक कम्पनी के वार्षिक लेखापरीक्षित लेखे प्रत्येक वर्ष आयोजित की जाने वाली अपनी वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) में शेयर धारकों के समक्ष प्रस्तुत करने होते हैं। कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 224 के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षक एक एजीएम की समाप्ति से अगली एजीएम की समाप्ति तक कार्यालय धारण करता है।

वर्ष 2013-14 के लिए कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति जुलाई/अगस्त 2013 के दौरान की गई थी।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) से सूचीबद्ध करार के खंड 41 में प्रावधान है कि स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीबद्ध सभी इकाइयों को निदेशक मंडल द्वारा विधिवत अनुमोदित और कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 'सीमित समीक्षा' के बाद अपनी त्रैमासिक वित्तीय समीक्षा (क्यूएफआर) को प्रकाशित करना चाहिए। समीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति तिमाही की समाप्ति के दो महीने के अन्दर स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत करनी होती है। एक वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही की सीमित समीक्षा तदनुसार की जानी है ताकि परिणामों का प्रकाशन वर्ष के अगस्त के अंत तक किया जा सके। सीपीएसईज़ को कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा क्यूएफआर बनवा कर प्राप्त करने का विकल्प है।

ऊपर उल्लिखित प्रावधानों के समय से अनुपालन को सुगम बनाने के लिए सरकारी कम्पनियों सहित मानी गई सरकारी कम्पनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा जुलाई/अगस्त 2013 के दौरान वर्ष 2013-14 के लिए लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के लिए की गई थी।

2.2.3 सरकारी कम्पनियों और मानी गई सरकारी कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता

सांविधिक लेखापरीक्षक का कम्पनी जिसकी वह लेखापरीक्षा करता है, के वित्तीय विवरणों पर स्वतंत्र व्यवसायिक मत उपलब्ध कराना न्यासी कर्तव्य है। सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और हित के द्वंद के किसी अवसर के निवारण को सुनिश्चित करने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 निम्नलिखित की नियुक्ति का निषेध करती है

- कम्पनी का अधिकारी अथवा कर्मचारी अथवा उनका भागीदार अथवा कर्मचारी,
- एक व्यक्ति जो कम्पनी का कर्जदार है और
- ऐसे व्यक्ति को जो कम्पनी के लेखापरीक्षक के रूप में वोटिंग अधिकार वाली किन्हीं प्रतिभूतियों का धारक है।

इसी प्रकार, सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 में सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए प्रावधान निहित है। सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949 की प्रथम अनुसूची का पैराग्राफ 10 फीस की स्वीकृति का निषेध करता है जो या तो लाभ से जुड़े हैं अथवा निष्कर्ष या रोजगार के परिणामों पर अन्यथा निर्भर हैं। इसके अतिरिक्त, द्वितीय अनुसूची, भाग-1 का पैराग्राफ 4 कारोबार जिसमें वह अथवा उसकी फर्म अथवा उसके फर्म के एक भागीदार का पर्याप्त हित है, के वित्तीय विवरणों पर तब तक राय व्यक्त करने के लिए सनदी लेखाकार के लिए एक कदाचार का कार्य बनता है जब तक ऐसे हित का प्रकटन नहीं किया जाता है।

लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता

- गैर लेखापरीक्षा समनुदेशन की स्वीकृति पर प्रतिबंध।
- प्रत्येक चार वर्षों में लेखापरीक्षकों का रोटेशन।

सरकारी कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सीएजी द्वारा निम्नलिखित और सुरक्षा उपलब्ध कराई गई है:

➤ सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा गैर-लेखापरीक्षा समनुदेशनों की स्वीकृति

सांविधिक लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और लेखापरीक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए लेखापरीक्षक के भागीदार अथवा संबंधी (पति, पत्नी, भाई, बहन अथवा कोई पूर्वज अथवा वंशज) अथवा सरकारी कम्पनी के सांविधिक लेखापरीक्षक के संगठन* लेखापरीक्षा के वर्ष और फर्म के कम्पनी का सांविधिक लेखापरीक्षक के निवर्तन बाद एक वर्ष के दौरान आंतरिक लेखापरीक्षा अथवा परामर्शी अथवा सरकारी कम्पनी को अन्य सेवाएं प्रस्तुत करने के लिए कोई समनुदेशन लेने से निषेध करता है। गैर-लेखापरीक्षा समनुदेशन की स्वीकृति जिसमें प्रबन्धन कार्य निष्पादन अथवा प्रबन्धन निर्णय देना शामिल है, भी लेखापरीक्षा के वर्ष के दौरान और फर्म के सांविधिक लेखापरीक्षक के निवर्तन के बाद एक वर्ष तक निषिद्ध है।

लेखापरीक्षकों का रोटेशन

प्रत्येक चार वर्षों में सरकारी कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों के रोटेशन की प्रणाली अच्छी पद्धति के रूप में अपनाई गई है।

2.3 सीपीएसईज के लेखाओं का बकाया

2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 ए के अनुसार सरकारी कम्पनी के कामकाज और कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट इसकी एजीएम के तीन महीने के अन्दर तैयार करनी होती है और ऐसी तैयारी के बाद यथाशीघ्र लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रति और सीएजी द्वारा की गई उस पर

* शब्द संगठन में (क) सनदी लेखाकारों की अन्य फर्में जिनमें कोई कर्मचारी अथवा लेखापरीक्षा फर्म का भागीदार हित रखता है (ख) लेखापरीक्षक फर्म का कोई कर्मचारी अथवा भागीदार जो अपनी व्यक्तिगत क्षमता में सनदी लेखाकार के रूप में प्रेक्टिस कर रहा है, शामिल हैं।

कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक के साथ संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत की जानी चाहिए। सांविधिक निगमों के विनियमन के लिए अलग अलग अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र भारत की समेकित निधि से कम्पनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 166 प्रत्येक कम्पनी से प्रत्येक कलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की एजीएम आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कथन है कि एक एजीएम और अगले एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय व्यतीत नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 में अनुबद्ध है कि उस दिन जिसको एजीएम के पूर्ववर्ती दिन से 6 महीने से अधिक नहीं होगा, को समाप्त होने वाली अवधि के लेखापरीक्षित लेखे उनके विचार के लिए उक्त एजीएम को प्रस्तुत किए जाने हैं।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 210(5) और (6) में कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए कम्पनी के निदेशक सहित जिम्मेदार व्यक्ति पर दंड और कारागार जैसी शास्ति के भी लगाने का प्रावधान है।

केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के लेखाओं में बकाया का मुद्दा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सीएजी द्वारा निरन्तर सूचित किया गया है। सीएजी द्वारा मामले को जनवरी 2007 में कार्पोरेट मामले, मंत्रालय, भारत सरकार और प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ भी उठाया गया था जिसने इन कम्पनियों के निदेशक मंडल को सरकारी निदेशक नियुक्त किया है। इसके बदले कार्पोरेट मामले मंत्रालय ने कम्पनी रजिस्ट्रार को ऐसी कम्पनियों को कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 210 की उप धारा (5) और उप-धारा (6) के प्रावधानों की तरफ ध्यान केन्द्रित करने का निदेश दिया, और जिनके लेखे बकाया थे उन्हें शीघ्र अपने लेखाओं को पूरा करने का निदेश दिया ताकि कम्पनी अधिनियम 1956 के प्रावधानों को अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके। संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को सीएजी द्वारा नवम्बर 2011 में लेखाओं के बकाया के निपटान के लिए पुनः अनुस्मारक दिया गया है।

तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि इस संबंध में अननुपालन के लिए जिम्मेदार केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के निदेशकों सहित चूककर्ता व्यक्तियों के विरुद्ध कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 210 की उपधारा 5 और 6 के अन्तर्गत कोई कार्रवाई नहीं की गई है जबकि विभिन्न सीपीएसईज के वार्षिक लेखे लम्बित थे जिसका विवरण आगामी पैराग्राफ में दिया गया है।

2.3.2 सरकारी कम्पनियों और मानी गई सरकारी कम्पनियों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

31 मार्च 2014 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 377 सरकारी कम्पनियां और 161 मानी गई सरकारी कम्पनियां थीं। इनमें से 377 सरकारी कम्पनियों और 161 मानी गई सरकारी कम्पनियों से वर्ष 2013-2014 के लेखे बकाया थे। 30 सितम्बर 2014 को या इससे पहले कुल 325 सरकारी कम्पनियों और 137 मानी गई सरकारी कम्पनियों ने सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। **52 सरकारी कम्पनियों और 24 मानी गई सरकारी कम्पनियों के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे।**

538 कम्पनियों में से 76 कम्पनियों के लेखे बकाया थे।

केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों के बकाया लेखाओं के ब्यौरे निम्नवत हैं:

विवरण		केन्द्रीय सरकारी कम्पनियों जहां सीएजी पूरक लेखापरीक्षा करते हैं					
		सरकारी कम्पनी		मानी गई सरकारी कम्पनी		कुल	
		377		161		538	
		सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध
31.03.2014 तक की संख्या		51	326	8	153	59	479
घटाएं: कम्पनियां जिनके 2013-14 के लेखे बकाया नहीं थे		-	-	-	-	-	-
कम्पनियां जिनसे 2013-14 के लेखे देय थे		51	326	8	153	59	479
कम्पनियों जिन्होंने 30 सितम्बर 2014 तक सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए लेखे प्रस्तुत किए		51	274	8	129	59	403
लेखे प्रस्तुत नहीं किए		-	-	-	-	-	-
बकाया लेखे		0	52	0	24	0	76
बकाया के ब्यौरे	(i) समापना धीन	0	23	0	8	0	31
	(ii) समाप्त	0	3	0	6	0	9
	(iii) अन्य	0	26	0	10	0	36
'अन्य' वर्ग के प्रति बकाया का समय वार	एक वर्ष (2013-14)	0	21	0	6	0	27
	दो वर्ष (2012-13 तथा	0	3	0	1	0	4

	2013-14)						
	तीन वर्ष और अधिक	0	2	0	3	0	5

इन कम्पनियों के नाम **परिशिष्ट II** में दर्शाए गए हैं।

सीएजी की लेखापरीक्षा के लिए लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब के परिणामस्वरूप इन इकाइयों में निवेशित सार्वजनिक धन के प्रबंधन के ऊपर संसदीय नियंत्रण की कमी और सांविधिक प्रावधानों को उल्लंघन हुआ।

2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

छः सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। पांच सांविधिक निगमों, जिनके मामले में सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, चार के मामले में यथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, दामोदर घाटी निगम, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने समय पर लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2013-14 के अपने लेखे प्रस्तुत किए थे। वर्ष 2013-14 के लिए भारतीय खाद्य निगम के लेखे 30 सितम्बर 2014 तक प्रतीक्षित थे 1 केन्द्रीय वेयरहाउसिंग कार्पोरेशन के मामले में, सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की है तथा लेखे समय पर प्राप्त हुए थे।

2.4 सीएजी का निरीक्षण- लेखाओं की लेखापरीक्षा और पूरक लेखापरीक्षा

2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कम्पनियों द्वारा कम्पनी अधिनियम 1956 की अनुसूची VI में निर्धारित प्रपत्र में और लेखाकरण मानकों की राष्ट्रीय परामर्श समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों से सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे निगमों को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

2.4.2 सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस उद्देश्य के साथ, कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आबंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा पर्यवेक्षण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्ति का उपयोग करते हुए किया जाता है

- कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना। धारा 619(3)(क) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा जारी निर्देशों का उद्देश्य प्राथमिक रूप से लेखापरीक्षिती संगठन में लेखाकरण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करना और वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक नियंत्रणों का मूल्यांकन करना है और
- कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को पूरक करना या टिप्पणी करना।

2.4.3 वार्षिक लेखाओं की लेखापरीक्षा के लिए सीपीएसई के चयन का मापदंड

सीपीएसईज के वार्षिक लेखाओं की पूरक लेखापरीक्षा करने के लिए समय कम करने हेतु सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की प्रक्रिया पूरी करने के लिए 42 दिन निर्धारित किए हैं। सीएजी ने महत्वपूर्ण मुद्दों पर अधिक संकेन्द्रण और लेखापरीक्षा संसाधनों के अधिकतम उपयोग के लिए सीपीएसईज के चयन के लिए मानदंड में संशोधन किए। मानदंड के अनुसार, सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा उन सीपीएसईज के संबंध में वार्षिक रूप से किया जाना है जिनका टर्नओवर ₹ 5000 करोड़ अथवा उससे अधिक है या प्रदत्त पूंजी ₹ 500 करोड़ या उससे अधिक है। अन्य सभी सीपीएसईज का चयन इस शर्त कि इनकी लेखापरीक्षा पांच वर्षों में कम से कम एक बार हो, के अध्यक्षीन जोखिम निर्धारण के आधार पर किया जाना है।

2.4.4 चयनित सीपीएसईज के वार्षिक लेखाओं की तीन चरणीय लेखापरीक्षा

कम्पनी अधिनियम 1956 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय प्रतिवेदन ढांचे के अनुसार वित्तीय विवरणों के तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी किसी इकाई के प्रबंधन की है।

कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(2) के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक

लेखापरीक्षक आईसीएआई के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा होती है।

तीन चरणीय लेखापरीक्षा
सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार के लिए सीएजी द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए एक गहन नवीकृत, संकेन्द्रित और परिणामोन्मुखी पहुंच लागू की गई।

चुनी गई सरकारी कम्पनियों की सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ प्रमाणित लेखों की समीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियों, यदि कोई है, की सूचना वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत दी जाती है।

चूंकि, लेखापरीक्षक की जिम्मेदारी वित्तीय प्रतिवेदन की गुणवत्ता में वृद्धि अर्थात् पठनीयता, विश्वसनीयता और विभिन्न पणधारियों के लिए उपयोगिता में प्रबंधन की सहायता करना है, इसलिए सीएजी ने 'तीन चरणीय लेखापरीक्षा' की प्रणाली द्वारा वित्तीय लेखापरीक्षा के लिए अधिक गहन, नवीकृत, संकेन्द्रित तथा परिणामोन्मुख पहुंच प्रस्तुत किया है। तीन चरणीय लेखापरीक्षा प्रणाली को निम्नलिखित उद्देश्यों से प्रबंधन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षक के साथ नई लेखापरीक्षा पहुंच के उद्देश्यों और कार्यप्रणाली पर चर्चा के बाद मतैक्य के आधार पर 2008-09 के वित्तीय विवरणों के लिए 'सूचीबद्ध', नवरत्न, 'मिनीरत्न' और 'सांविधिक निगमों' की श्रेणी के अन्तर्गत आने वाले चुने गए 'सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों' में लागू किया गया था।


- सीपीएसईज द्वारा प्रस्तुत वित्तीय विवरणों से

संबंधित असंगतियों और संदेहों को दूर करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों, प्रबंधन और सीएजी की लेखापरीक्षा के बीच प्रभावी सप्रेषण और समन्वित पहुंच स्थापित करना।

- सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के पूर्व त्रुटियों, चूक, अननुपालन आदि की पहचान करना और उजागर करना और सीपीएसईज के सांविधिक लेखापरीक्षकों तथा प्रबंधन को समय से उपचारी कार्रवाई करने के लिए ऐसे मुद्दों की जांच करने के लिए अवसर प्रदान करना।

- सीपीएसईज के प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन के बाद सीएजी की लेखापरीक्षा के समय को कम करना।

तीन चरणीय लेखापरीक्षा



इस प्रकार, तीन चरणीय लेखापरीक्षा वित्तीय विवरणों पर स्वीकृत टिप्पणियों में सुधार के लिए सीपीएसईज के प्रबंधन को समर्थ बनाकर लेखापरीक्षा प्रक्रिया और कार्यप्रणाली में पर्याप्त गुणात्मक परिवर्तन लाती है।


नई लेखापरीक्षा प्रणाली की सराहना विभिन्न सीपीएसईज जिन्होंने इसका चयन किया, के प्रबन्धन और संबंधित सांविधिक लेखापरीक्षकों दोनों द्वारा की गई थी। नई लेखापरीक्षा प्रणाली का चरण-I और चरण-II कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(क) के विस्तारित प्रावधान हैं। प्रथम दो चरणों के अन्तर्गत लेखापरीक्षा टिप्पणियां प्रारंभिक टिप्पणियों के रूप में मानी जाती हैं और कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(3)(क) के अन्तर्गत उप-निर्देश के भाग के रूप में सांविधिक लेखापरीक्षकों को सूचित की जाती हैं। लेखापरीक्षा का अंतिम चरण (चरण III) प्रबंधन द्वारा वित्तीय विवरणों के अनुमोदन और सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा के बाद किया जाता है जो वही है जैसा पहले किया जाता था।

2.5 सीएजी की निरीक्षण भूमिका के परिणाम

2.5.1 तीन चरण लेखापरीक्षा का प्रभाव

74 सीपीएसईज में की गई तीन चरणीय लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप अपने वित्तीय विवरणों में सीपीएसईज द्वारा अनेक मात्रात्मक के साथ-साथ गुणात्मक परिवर्तन किए गए थे जिसके कारण उनके वित्तीय विवरणों की गुणवत्ता में सुधार हुआ।

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2013-14 के लिए इन सीपीएसईज के वित्तीय विवरणों की तीन चरण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया मूल्यवर्द्धन निम्नलिखित ग्राफ में दर्शाया गया है:



सीपीएसईज जहाँ महत्वपूर्ण मूल्य वर्धन किया गया:

क्र.सं.	सीपीएसई के नाम
1.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
2.	गेल (इंडिया) लिमिटेड
3.	जनरल इन्शसोरेंस कॉर्पोरेशन आफ इंडिया
4.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
5.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6.	एनएचपीसी लिमिटेड
7.	नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
8.	एनटीपीसी लिमिटेड
9.	आयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10.	ऑयल इंडिया लिमिटेड
11.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
12.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
13.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
14.	एसजेवीएन लिमिटेड
15.	स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड

2.5.2 कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619 के अन्तर्गत सरकारी कम्पनियों/मानी गई सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

30 सितम्बर 2014 तक 325 सरकारी कम्पनियों, 137 मानी गई सरकारी कम्पनियों तथा पाँच सांविधिक निगमों से वर्ष 2013-14 के वित्तीय विवरण प्राप्त हुए थे। इनमें से जोखिम आकलन के आधार पर 224 सरकारी कम्पनियों और 68 मानी गई सरकारी कम्पनियों तथा पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

सीएजी ने वर्ष 2013-14 के लिए 292 कम्पनियों और पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की समीक्षा की।

सारांशतः, उपरोक्त 2.4.3 में दिये गए निर्धारित मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए मुख्य लेखापरीक्षा कार्यालयों द्वारा किये गए जोखिम आकलन के आधार पर सीएजी ने 30 सितम्बर 2014 तक प्राप्त लेखाओं में से 69 प्रतिशत सरकारी कम्पनियों और 50 प्रतिशत मानी गई सरकारी कम्पनियों के लेखाओं की समीक्षा की।

लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में संशोधन:

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लेखाओं की सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप आठ सरकारी कम्पनियों (दो सूचीबद्ध सरकारी कंपनी सहित) के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्टें संशोधित की। लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में महत्वपूर्ण संशोधन निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है।

आठ कम्पनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सीएजी द्वारा पूरक लेखापरीक्षा के बाद अपनी रिपोर्ट में संशोधन किया।

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	संशोधन का स्वरूप
1.	बीईएल आप्ट्रोनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड	एसए-705 तथा एसए-706 का पालन करने के लिए संशोधित मत तथा मामले के महत्व को शामिल करने के लिए रिपोर्ट का फॉर्मेट परिवर्तित किया।
2.	भारतीय रेल बिजली कम्पनी लिमिटेड	सम्पत्ति कर, सेवा कर, आयकर, सीमाशुल्क, उत्पाद शुल्क तथा उपकर जो उपयुक्त प्राधिकारण के पास जमा नहीं कराए गए थे, के सम्बन्ध में विवादित देय राशियों की सही राशि शामिल करने के लिए रिपोर्ट संशोधित की गई।
3.	सेन्ट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्यूरिटीजेशन एसेट रिकन्सट्रक्शन एंड सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट आफ इंडिया	संशोधित एसए-700 के अनुसार नये फॉर्मेट में संशोधित रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी।
4.	हैवी इन्जिनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	एसए 700 (संशोधित) की अपेक्षा अनुसार, नकद प्रवाह विवरण से संबंधित सूचना रिपोर्ट की मद सं. 2(डी) में शामिल की गई थी।
5.	मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड	निम्नलिखित को शामिल करने के लिए रिपोर्ट संशोधित की गई: (i) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 274(1) (जी) का संदर्भ (ii) यह तथ्य कि बिक्री कर, आय कर, भविष्य निधि अंशदान के संबंध में वैधानिक देय राशियाँ नियमित रूप से जमा कराई गई थीं। (iii) यह तथ्य कि संचित हानि निवल संपत्ति के 50 प्रतिशत से अधिक थी।
6.	नबीनगर पावर जेनरेटिंग कम्पनी	विवादित आयकर की राशि से संबंधित सुधारों को शामिल करने के लिए रिपोर्ट संशोधित की गई।

	लिमिटेड	
7.	नैलौर ट्रांसमिशन लिमिटेड	सही अनुप्रयोज्य अविवादित वैधानिक राशियों को प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट संशोधित की गई जो उपयुक्त प्राधिकरण के पास जमा कराई गई थी।
8.	रूरल इलैक्ट्रीफिकेशन लिमिटेड	निम्नलिखित के लिए रिपोर्ट संशोधित की गई: (i) लेखापरीक्षक की उत्तदायित्व रिपोर्ट पर पैरा से 'समेकित' शब्द को हटाने हेतु। (ii) 'अन्य विधिक ऍव नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के तहत कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 227 (13) (जी) पर टिप्पणी को हटाने हेतु। (iii) अचल परिसम्पत्तियों की प्रत्यक्ष जाँच के संबंध में स्पष्टता लाने के लिए। (iv) विवादित कर देयताओं की सही राशि शामिल करने के लिए।

2.5.3 सरकारी कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के पूरक के रूप में जारी सीएजी की टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2013-14 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात सीएजी ने पूरक लेखापरीक्षा की और सरकारी कंपनियों के लेखाओं पर जारी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं।

❖ सूचीबद्ध कंपनियाँ

लाभप्रदत्ता पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
आईएफसीआई लिमिटेड	ऋण के प्रति अपर्याप्त सुरक्षा कवर, आईएफसीआई के संबंध में समूह का पिछला खराब इतिहास तथा नई निगमित उधार कर्त्ता कम्पनी के छोटे प्रदत्त पूँजी के बावजूद पीपावाव मरीन एंड ऑफशोर लिमिटेड को दिए गए ऋण के संबंध में, एनबीएफसीज़ पर लागू आरबीआई दिशानिर्देशों (जुलाई 2013) के अनुसार अशोध्य तथा संदिग्ध परिसम्पत्तियों का प्रावधान नहीं किया गया था।
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	• प्रशासनिक, प्रचालनात्मक तथा अन्य व्ययों में 2006-07 से 2009-10 की अवधि के लिए लाइसेंस फीस राशियों के अस्थाई आकलन के प्रति दूर संचार विभाग (डीओटी)

	<p>(जुलाई 2013) द्वारा उठाई गई ₹ 1887.70 मिलियन की माँग शामिल नहीं थी।</p> <ul style="list-style-type: none"> अपवादात्मक मदों में 1 अप्रैल 1986 से 30 सितम्बर 2000 के अवधि के लिए छुटी वेतन तथा पेंशन अंशदान के विलम्बित भुगतान के लिए ब्याज के कारण जीओआई को भुगतान की जाने वाली ₹ 1738.10 मिलियन की राशि शामिल थी जो कम्पनी द्वारा भुगतान नहीं की गई थी।
नेशनल बिल्डिंग्स कन्स्ट्रक्शन कार्पोरेशन लिमिटेड	<p>निम्नलिखित के कारण अन्य प्रचालन राजस्व अधिक बताया गया था</p> <p>(i) एस्करो एग्रीमेंट के उल्लंघन में, शहरी विकास मंत्रालय की ओर से क्रियान्वित ईस्ट किदवई नगर परियोजना के संबंध में ठेकेदारों से वसूली योग्य संग्रहण अग्रिम पर ब्याज की पहचान- ₹ 6.84 करोड़</p> <p>(ii) सीआरपीएफ कार्यों के लिए ठेकेदारों से वसूली योग्य संग्रहण अग्रिम पर ब्याज - ₹ 0.17 करोड़</p>

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
आईटीआई लिमिटेड	<p>कम्पनी तथा एचसीएल के बीच अनुबंध के अनुसार 'सशर्त प्रतिपूर्ति' के रूप में मै. एचसीएल इन्फोसिस्टम लिमिटेड (एचसीएल) से वसूली योग्य राशि को शामिल करने के कारण लघुअवधि ऋण तथा अग्रिम ₹ 16.90 करोड़ अधिक बताया गया था। सशर्त प्रतिपूर्ति एचसीएल द्वारा कम्पनी द्वारा आदेश दिए जाने की स्थिति में भुगतान किया जाना था। चूँकि कम्पनी ने कोई आदेश नहीं दिया था, अतः अनुबंध पर आधारित आय का लेखांकन सही नहीं था।</p>
एमएमटीसी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> गैर-चालू निवेशों में संयुक्त उद्यम सीकल आयरन ओर ट्रमिनल लिमिटेड (एसआईओटीएल) में 26 प्रतिशत इक्विटी निवेश के नाते ₹ 33.80 करोड़ की राशि शामिल थी। लौह अयस्क के खनन, परिवहन तथा निर्यात पर उच्चतम न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर लगाए गए प्रतिबन्धों के कारण नवम्बर 2010 में पूरी हुई परियोजना, वाणिज्यिक प्रचालन प्रारंभ नहीं कर सकी। एसआईओटीएल ने अपनी बहियों में उपरोक्त परियोजना को पूँजीकृत नहीं किया था जिसके परिणामस्वरूप, नवम्बर 2010 के

	<p>पश्चात सारी प्रशासनिक लागतें तथा वित्तीय लागतें अभी तक प्रगतिअधीन पूँजीगत कार्यो (सीडब्ल्युआईपी) को बुक की जा रही थीं तथा मूल्यहास के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था। यदि इन लागतों को लाभ एवं हानि खाते में हस्तांतरित किया गया होता तो एसआईओटीएल की निवल सम्पत्ति 2013-14 तक पूरी तरह से खत्म हो गई होती।</p> <ul style="list-style-type: none"> • लघुअवधि ऋण तथा अग्रिम जीओआई की 15 प्रतिशत योजना के तहत, जो उपभोक्ता मामले मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत कर दी गई थी, दलहन के आयात के कारण वसूली योग्य दावों के नाते ₹ 19.29 करोड़ (जोओआई द्वारा किये गए अधिक भुगतान पर ब्याज के प्रति कटौती किए गए ₹ 2.74 करोड़ सहित) तक अधिक बताए गए थे।
<p>स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड</p>	<ul style="list-style-type: none"> • प्रबन्ध ने बेतिया एसपीयू प्रारंभ होने की सूचना दी थी; बोर्ड समिति को भी सूचित किया गया था कि आईआईएससीओ इस्पात संयंत्र के कुछ बड़े पैकेज प्रारंभ किये गए थे। तथापि, यह देखा गया था कि बेतिया एसपीयू को पूँजीकृत नहीं किया गया था तथा कम्पनी के लेखाओं में आईआईएससीओ संयंत्र तथा मशीनरी के पूँजीकरण की तिथियों में तथा बोर्ड को प्रारंभ होने के बारे में बताई गई तिथियों में अन्तर था। इस प्रकार, पूँजीकरण की तिथियों की सत्यता तथा परिणामस्वरूप प्रभारित मूल्यहास की जाँच नहीं की जा सकी। • मालसूची में सेलम इस्पात संयंत्र (एसएसपी) में एलडी सलैग से खनन योग्य 8,688 टन स्कल के अनुमानित मूल्य के रूप में ₹ 51.95 करोड़ शामिल किये गए थे। स्कल का मूल्यांकन न्यायोचित नहीं था क्योंकि सलैग एक बिक्री योग्य सामान नहीं था। चूँकि 31 मार्च 2014 को एसएसपी में 8,688 टन के स्कल भण्डार का प्रत्यक्ष अस्तित्व नहीं था, इसे मालसूची नहीं माना जा सकता।
<p>दी स्टेट ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड</p>	<p>कारोबार प्राप्तियोग्य में 2008-2010 की अवधि के दौरान निर्यात किये गए इस्पात स्लैब के कारण जीएसपीआई/जीएसएचएल से वसूली योग्य ₹ 1468.14 करोड़ शामिल थे। वसूली की दर पर समस्त देय राशियों के भुगतान के लिए दिनांक 15 नवम्बर 2011 के समाधान अनुबंध तथा</p>

	फिर दिनांक 17 मई 2012 के समझौता अनुबंध के बाद भी, पर्याप्त प्रतिभूति की कमी तथा बकाया राशियों के समय पर विचार करते हुए, बकाया राशियों की वसूली की संभावना अनुमान लगाने योग्य नहीं थीं।
--	--

उदघोषणा पर टिप्पणियाँ

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> केबिनेट ने 2010 में डीओटी को भुगतान किए गए एकमुश्त बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम शुल्क को दर्शाते हुए ₹ 45339.70 मिलियन के प्रतिदाय का अनुमोदन किया (जनवरी 2014) तथा कम्पनी को बाण्ड तथा ब्याज के पुनर्भुगतान का उत्तरदायित्व जीओआई का होने के साथ गारन्टी शुल्क के बिना जीओआई द्वारा कराई जाने वाली स्वायत्त गारन्टी के साथ ₹ 45339.70 मिलियन मूल्य के बाण्ड उठाने की अनुमति दी। कम्पनी ने बाण्ड जारी करने के लिए डीओटी से ₹ 45339.70 मिलियन के लिए सरकारी गारन्टी हेतु अनुरोध किया। तथापि, आर्थिक मामले विभाग ने केवल ₹ 10000 मिलियन के बाण्ड के लिए सरकारी गारन्टी का अनुमोदन किया। इसके प्रति, कम्पनी 2013-14 में केवल ₹ 7650 मिलियन की राशि के लिए बाण्ड (3ए-2014 श्रृंखला) जारी कर सकती थी। यह तथ्य कि डीओटी द्वारा एकमुश्त बीडब्ल्यूए स्पैक्ट्रम शुल्क के प्रतिदाय के स्थान पर ₹ 7650 मिलियन मूल्य की डिर्वेचर 3 ए श्रृंखला जारी की गई थी, उजागर नहीं किया था। वर्ष 2013-14 के लिए, भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) से वसूली योग्य राशि तथा को भुगतान योग्य राशि क्रमशः ₹ 41,860.40 मिलियन तथा ₹ 18282.54 मिलियन थी, परिणामस्वरूप बीएसएनएल से निवल वसूली योग्य राशि ₹ 23577.86 मिलियन की थी। हालाँकि वर्ष 2013-14 के लिए बीएसएनएल के वार्षिक लेखा के अनुसार, कम्पनी से वसूली योग्य तथा कम्पनी को भुगतान योग्य राशि क्रमशः ₹ 35179.52 मिलियन तथा ₹ 9960.15 मिलियन थी, परिणामस्वरूप कम्पनी से वसूली योग्य

	<p>राशि ₹ 25219.37 मिलियन थी। अतः एक ही मंत्रालय के तहत इन दो सरकारी कम्पनियों के बीच वसूलीयोग्य/भुगतान योग्य राशियों में ₹ 48797.23 मिलियन का निवल अन्तर था। वर्ष 2012-13 के लिए भी कम्पनी के लेखाओं पर समान टिप्पणी की गई थी। तथापि, कम्पनी तथा बीएसएनएल के बीच समाधान न किये गए शेषों की स्थिति में कोई अन्तर नहीं था।</p>
--	---

❖ गैस-सूचीबद्ध कम्पनियाँ

लाभप्रदायकता पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
भारत संचार निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> लाइसेंस तथा स्पैक्ट्रम शुल्क में वर्ष 2013-14 के दौरान डीओटी के टर्म सेल द्वारा लगाई गई शास्तियों के प्रति ₹ 1428.62 करोड़ शामिल नहीं थे। 2011-12, 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान अधिकतम वेतन के बजाए आहरित वास्तविक वेतन के आधार पर कर्मचारियों का पेंशन अंशदान प्रभारित करने के कारण कर्मचारी लाभ व्यय (पेंशन अंशदान) ₹ 707.03 करोड़ तक कम बताए गए थे।
जनरल इन्श्योरेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया	<p>मोटर दावे बकाया में, करोबार की मोटर श्रेणी के संबंध में वहन किये गए परन्तु सूचित ना किये गए' के लिए प्रावधान की गणना करते समय, अण्डराइटिंग वर्ष 2007 के निष्कासन के कारण ₹ 441.84 करोड़ शामिल नहीं किये गए थे।</p>
हैवी इन्जिनियरिंग कार्पोरेशन लिमिटेड	<p>लघु अवधि व्यापार प्राप्ति योग्य में शामिल थे</p> <p>(i) ₹ 8.39 करोड़ जिनके प्रति कम्पनी ने भिलाई इस्पात संयंत्र के साथ अन्तिम समझौते में ₹ 2.73 करोड़ का दावा स्वीकार किया था।</p> <p>(ii) सेवा कर के प्रति ₹ 0.74 करोड़ सहित ₹ 2.40 करोड़ जिसके प्रति भिलाई इस्पात संयंत्र ने कम्पनी द्वारा कार्यान्वित अतिरिक्त कार्य के लिए केवल ₹ 1.38 करोड़ स्वीकार किये हैं।</p> <p>(iii) नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड के बीना कोल हैण्डलिंग प्लान्ट के संबंध में उपकरण इत्यादि की आपूर्ति के लिए संविदा के संबंध में दावे के लिए अपीलीय प्राधिकरण द्वारा</p>

	नवम्बर 1999 में कम्पनी के पक्ष में दिये गए निर्णय की राशि के रूप में ₹ 14.58 करोड़, जो चौदह वर्षों से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी वसूल नहीं किये जा सके थे।
इंडिया रिनेवेबल एनर्जी डेवेलपमेन्ट एजेन्सी लिमिटेड	प्रचालनों से राजस्व में 'अशोध्य तथा सदग्धि ऋणों' के लिए प्रावधान' के प्रतिलेखन के कारण ₹ 103.10 करोड़ शामिल थे जबकि ₹ 98.80 करोड़ के अशोध्य तथा संदग्धि ऋण लाभ तथा हानि के विवरण को प्रभारित करके प्रतिलेखन किया गया था।
कोकण रेलवे कार्पोरेशन लिमिटेड	अचल सम्पत्ति (भूमिकार्य) में वर्ष 2005-06 से जियो-टेक सुरक्षा कार्यों पर वहन किये गए व्यय के प्रति ₹ 228 करोड़ शामिल थे। चूँकि व्यय पूँजीगत प्रवृत्ति का व्यय नहीं था जो वर्तमान सपत्ति से अर्जन क्षमता को बढ़ाता, इसलिए यह लाभ तथा हानि विवरण को प्रभारित किया जाना चाहिए था।
नार्थ इस्टर्न हैण्डी क्राफ्टस एण्ड हैण्डलूम डेवेलपमेन्ट कार्पोरेशन लिमिटेड	लाइफ इन्शोरेंस कार्पोरेशन आफ इंडिया को भुगतान योग्य ग्रेचुईटी निधि के प्रति अंशदान के संबंध में कम प्रावधान के कारण कर्मचारी लाभ व्यय ₹ 1.52 करोड़ तक कम बताए गए थे।
न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड	प्रशासन और अन्य व्ययों में 2010-11 से 2013-14 के दौरान विलम्बित/गैर भुगतान पर गुजरात सरकार के सिंचाई विभाग को कम्पनी द्वारा देय ₹ 93.31 करोड़ का ब्याज शामिल नहीं हैं।
पीएफसी कन्सल्टिंग लिमिटेड	अन्य परिचालन आय में पांच स्वतंत्र ट्रांसमिशन परियोजनाएं अर्थात् विशेष उद्देश्य योजन जोकि स्वतंत्र ट्रांसमिशन परियोजना के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक बोली दस्तावेजों के उल्लंघन में था से संबंधित बोली प्रोसेसर कोरडिनेटर की क्षमता में कम्पनी द्वारा प्राप्त किए गए प्रस्ताव के लिए निवेदन दस्तावेजों की बिक्री प्राप्तियों के आधार पर ₹ 2.00 करोड़ शामिल किए गए थे जिसमें प्रदान किया गया था कि प्रस्ताव दस्तावेजों के लिए निवेदन के बिक्री प्राप्तियों को सीधे विशेष उद्देश्य योजन के खाते में जमा किया जाए।

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड	वर्ष 2010-11 से 2012-13 के लिए निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व और दीर्घकालिक गतिविधि रिजर्व को उसके गैर प्रावधान के कारण ₹ 10.25 करोड़ तक कम बताया और 2013-14 के लिए कम प्रावधान किया गया था।
भारत ब्रोडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> स्थायी "परिसम्पत्तियों (मूर्त परिसम्पत्तियां) में तीन ब्लाकों अर्थात् अजमेर जिले में अरेन (राजस्थान), विशाखापट्टनम (आन्ध्र प्रदेश) में परवड़ा और पानीसागर (त्रिपुरा) जिनमें 60 ग्राम पंचायतें कवर होती हैं, में एनओएफएन प्रायोगिक परियोजना के मूल्य में ₹ 3.39 करोड़ शामिल नहीं हैं जिन्हें 10 मई 2012 में पूर्ण कर प्रयोग में लाया गया। रोकड और रोकड के बराबर-एनओएफएन के लिए यूएसओएफ से अनुदान राशि का सावधि जमा एनएलडी लाइसेंस की खरीद के लिए इस कोरपस से उपयोग हेतु लिए जाने के कारण ₹ 2.50 करोड़ कम बताया गया था।
भारत संचार निगम लिमिटेड	डीओटी ने वर्ष 2006-07 से 2008-09 के लिए लाइसेंस शुल्क का अन्तिम निर्धारण पूरा करने के बाद वर्ष 2012-13 के लिए लाइसेंस शुल्क के कम भुगतान के लिए ₹ 378.30 करोड़ की मांग के अलावा ₹ 4076.62 करोड़ की अतिरिक्त मांग की। कम्पनी ने यह प्रदान नहीं किया किन्तु इसे एक आकस्मिक देयता घोषित किया।
बोकारो पावर सप्लाय कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड	प्रगति पर पूंजीगत कार्य में 2 x 250 मे वा. पावर प्लांट परियोजना के लिए कोयले की खरीद के लिए आश्वासन पत्र के प्रति कम्पनी द्वारा दिए गए आश्वासन को पूरा न करने के कारण मार्च 2011 में सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा बैंक गारंटी भुनाने की राशि के ₹ 12.35 करोड़ शामिल हैं। तीन वर्षों से अधिक बीत चुके थे और कम्पनी जब्त प्रतिभूति जमा का प्रतिदाय प्राप्त नहीं कर सकी थी।
सेन्ट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्यूरिटीजेशन एसेट रिकन्सट्रक्शन एंड सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट आफ इंडिया	रोकड और बैंक बेलेस में तीन महीने से कम की वास्तविक परिपक्वता अवधि सहित ₹ 38.95 करोड़ का सावधि जमा और तीन महीने से अधिक किन्तु 12 महीने से कम की वास्तविक परिपक्वता सहित ₹ 111.75 करोड़ का सविधि जमा शामिल नहीं हैं।

<p>दरभंगा मोतिहारी ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड</p>	<p>प्रगति पर पूंजीगत कार्य में स्वतंत्र ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया पर आधारित टेरिफ पर कम्पनी की बोली के हस्तारण के लिए प्रस्ताव के लिए निवेदन के दस्तावेजों से बिक्री प्राप्त के कारण ₹ 0.40 करोड़ शामिल नहीं है जैसा कि ट्रांसमिशन सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक बोली दस्तावेजों में अपेक्षित हैं।</p>
<p>डीजीई एन ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड</p>	<p>प्रगति पर पूंजीगत कार्य में स्वतंत्र ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया पर आधारित टेरिफ पर कम्पनी की बोली के हस्तारण के लिए प्रस्ताव के लिए निवेदन के दस्तावेजों से बिक्री प्राप्त के कारण ₹ 0.30 करोड़ शामिल नहीं है जैसा कि ट्रांसमिशन सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक बोली दस्तावेजों में अपेक्षित हैं।</p>
<p>हिन्दुस्तान प्रीफैब लिमिटेड</p>	<p>अन्य चालू देयताओं में तुलन पत्र की तिथि से एक वर्ष के अन्दर वापसी योग्य प्रतिभूति जमा के ₹ 22.47 करोड़ शामिल हैं।</p>
<p>एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड</p>	<p>प्रगति पर पूंजीगत कार्य में एमओयू को अन्तिम रूप देने और जेवी समझौते के लिए बैठक और कम्पनी के नींव रखने के उदघाटन समारोह पर ₹ 8.19 करोड़ की राशि शामिल की।</p>
<p>हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड</p>	<p>वर्ष 2012-13 के लिए कम्पनी के वार्षिक लेखों पर सीएजी की टिप्पणियों पर ध्यान आकर्षित किया जाता है जिसमें बताया गया था कि एक वर्ष की निर्धारित अवधि के अन्दर वांछित उद्देश्य के लिए उपयोग न की गई मशीनरी एवं अवसंरचना का नवीकरण और प्रतिस्थापन (आरआरएमआई) योजना के लिए प्राप्त की गई अग्रिम निधियों पर कम्पनी द्वारा अर्जित किए गए ₹ 42.18 करोड़ के ब्याज हेतु देयता के लिए प्रावधान नहीं किया गया था किन्तु भारत सरकार को क्रेडिट के लिए वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान आवधिक जमा में रखा गया था। वर्ष 2013-14 के दौरान भी कम्पनी ने न तो भारत सरकार को ब्याज दिया न देयता का प्रावधान दिया। इसके अतिरिक्त संस्कृती की शर्तों के उल्लंघन में विभिन्न चालू पूंजीगत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आरआरएमआई निधियों से ₹ 103.05 करोड़ उपयोग किए गए थे। इसलिए ₹ 5.53 करोड़ के कल्पित ब्याज जो यदि समान अवधि जमा में निवेश किया जाता तो अर्जित किया जा सकता था संस्वीकृति की शर्तों के अनुरूप भारत सरकार को क्रेडिट नहीं किया गया था।</p>

जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड	चालू देयताओं के साथ साथ प्रगति पर पूंजीगत कार्य एजेंसी कमीशन की गणना के कारण ₹ 16.50 करोड़ तक अधिक बताया गया जैसाकि धारण कम्पनी को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए देय माना गया जो कि न तो व्यवहार्यता रिपोर्ट में शामिल न ही भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।
मेकॉन लिमिटेड	मौजूदा सड़क की मरम्मत की लागत के पूंजीकरण के कारण सामाजिक सुविधाओं को ₹ 2.76 करोड़ अधिक बताया गया था।
नागालैंड पल्प एंड पेपर कम्पनी लिमिटेड	चालू देयताओं के साथ प्रगति पर पूंजीगत कार्य, एजेंसी कमीशन की गणना के कारण ₹ 4.89 करोड़ तक अधिक बताया गया जैसाकि धारण कम्पनी को परियोजना के कार्यान्वयन के लिए देय माना जाएगा जो कि न तो व्यवहार्यता रिपोर्ट में शामिल न ही भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया।
नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए कर/मैट के गलत प्रावधान के कारण ₹ 1.15 करोड़ तक अधिक आयकर के कराधान के प्रावधान को बताया गया था।
नेशनल प्रोजेक्ट्स कन्स्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कम्पनी अधिनियम, 1956 की संशोधित अनुसूची VI के अन्तर्गत निर्धारित फार्मेट के विपरीत फर्नीचर और फिक्सचर और कार्यालय उपकरण को समाधन शीर्ष कार्यालय फर्नीचर और उपकरण के अन्तर्गत दर्शाया गया था। • परियोजना प्राधिकारी के पास प्रतिभूति जमा को दीर्घावधि ऋण और अग्रिमों की जगह अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों में शामिल किया गया था। • एक वर्ष से अधिक की परिपक्वता अवधि के साथ सावधि जमा और प्रतिभूति जमा/बैंक गारंटी के लिए बैंक/परियोजना प्राधिकारी के प्रतिभूत को 'अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों' की जगह 'अनुसूचित बैंक' के पास 'अन्य शेष' के रूप में दर्शाया गया था। • उच्च एलटिट्यूड सड़क के निर्माण में चट्टान उत्खनन के किए गए कार्य के लिए देयता के प्रावधान के अन्तर्गत व्यावसयिक देयताओं को ₹ 1.09 करोड़ तक कम बताया गया था। • डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन जज, लुंगलेई के जजमेंट के अनुपालन में भू स्वामी को अतिरिक्त क्षतिपूर्ति के भुगतान का प्रावधान न होने के कारण ₹ 22.74 करोड़ तक की अन्य चालू देयताओं को कम बताया गया था।

नेपा लिमिटेड	ईपीएफओ देय जमा करने में कम्पनी द्वारा विलम्ब के दृष्टिगत ईपीएफओ द्वारा लगाई गई शास्ति के कारण एम्प्लोइज़ प्रोविडेंट फंड आरगेनाइजेशन (ईपीएफओ) को क्षतिपूर्ति के रूप में दत्त ₹ 3.34 करोड़ अन्य और चालू परिसम्पत्तियों में शामिल किए गए थे। राशि ईपीएफओ से वसूली योग्य नहीं थी तथा इसे लाभहानि विवरण से चार्ज होना चाहिए था।
पटरन ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	प्रगति पर पूंजीगत कार्य में स्वतंत्र ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया पर आधारित टेरिफ पर कम्पनी की बोली के हस्तारण के लिए प्रस्ताव के लिए निवेदन के दस्तावेजों से बिक्री प्राप्ति के कारण ₹ 0.50 करोड़ शामिल नहीं है जैसा कि ट्रांसमिशन सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक बोली दस्तावेजों में अपेक्षित हैं।
पीईसी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • व्यापार प्राप्तियों में 15% अदायगी योजना के तहत सरकारी खाते में दालों के आयात और बिक्री में दर्ज हानियों के कारण भारत सरकार से वसूली योग्य राशि में ₹ 88.61 करोड़ शामिल थे। जैसाकि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने सूचना दी थी (अप्रैल 2014) कि कोई स्वीकार्य दावा लम्बित नहीं था, राशि की वसूली संदेहात्मक थी। • अल्पावधि ऋण और अग्रिमों में मै. नेशनल स्पाट एक्सचेंज लिमिटेड से वसूलीयोग्य दावे के रूप में ₹ 121 करोड़ शामिल थे। चूंकि राशि की उगाही के अवसर दूरस्थ थे, राशि प्रदान की जानी चाहिए थी।
पुरुलिया खडगपुर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	प्रगति पर पूंजीगत कार्य में स्वतंत्र ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया पर आधारित टेरिफ पर कम्पनी की बोली के हस्तारण के लिए प्रस्ताव के लिए निवेदन के दस्तावेजों से बिक्री प्राप्ति के कारण ₹ 0.30 करोड़ शामिल नहीं है जैसा कि ट्रांसमिशन सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक बोली दस्तावेजों में अपेक्षित हैं।
रेलटेल कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड	अल्पावधि ऋण और अग्रिम निम्न के कारण अधिक बताए गए थे: <ul style="list-style-type: none"> (i) बिक्री कर और अन्य वसूलियों के लिए रेल मंत्रालय से ₹ 49.96 करोड़ वसूली योग्य थे। (ii) पूंजीगत कार्यों के लिए रेलवे को ₹ 1.61 करोड़ का अग्रिम दिया गया था।

आरएपीपी ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	प्रगति पर पूंजीगत कार्य में स्वतंत्र ट्रांसमिशन प्रणाली के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया पर आधारित टेरिफ पर कम्पनी की बोली के हस्तारण के लिए प्रस्ताव के लिए निवेदन के दस्तावेजों से बिक्री प्राप्त के कारण ₹ 0.50 करोड़ शामिल नहीं है जैसा कि ट्रांसमिशन सेवा प्रदाताओं के चयन के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा अनुमोदित मानक बोली दस्तावेजों में अपेक्षित हैं।
-----------------------------------	---

प्रकटन पर टिप्पणियां

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
भारत ब्रोडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	सीपीएसईज़ की अनुसूची वार सूची के अनुसार, कम्पनी को सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा कम्पनी को 'ए' अनुसूची के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया था, तथापि, कम्पनी बोर्ड स्तर और बोर्ड स्तर के नीचे अपने कार्मिकों को अनुसूची 'ए' कम्पनी की सूविधा दे रही थी। यह तथ्य कि अनुसूची 'ए' कम्पनी की स्थिति दी जा रही थी जबकि सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा वर्गीकरण लम्बित था टिप्पणी में प्रकट नहीं किया गया था।
भारत संचार निगम लिमिटेड	एमटीएनएल को चालू खाते पर वसूली योग्य राशि और देय राशि को क्रमशः ₹ 3517.95 करोड़ और ₹ 996.02 करोड़ दर्शाया गया था जिसके परिणामस्वरूप एमटीएनएल से ₹ 2521.93 करोड़ की कुल राशि वसूलीयोग्य थी। तथापि वर्ष 2013-14 के लिए एमटीएनएल के अनुमोदित वार्षिक खाते के अनुसार कम्पनी से वसूली योग्य राशि और देय राशि क्रमशः ₹ 4186.04 करोड़ और ₹ 1828.25 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप कम्पनी से ₹ 2357.79 करोड़ की कुल राशि वसूलीयोग्य थी। इस प्रकार, एक मंत्रालय के अन्तर्गत इन दो सरकारी कम्पनियों के बीच वसूली योग्य/देय राशियों में कुल अन्तर ₹ 4879.72 करोड़ का था। यह टिप्पणी वर्ष 2012-13 के लिए कम्पनी के लेखों पर भी उठाई गई थी। तथापि, कम्पनी और एमटीएनएल के बीच असंगत शेषों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं था।
बोकारो पावर सप्लाइ कम्पनी (प्रा.) लिमिटेड	आकस्मिक देयताओं में 9वीं बायलर परियोजना के लिए 31 मार्च 2014 तक किए गए कार्य पर ठेकेदार द्वारा दर्ज ₹ 2.45 करोड़ के ब्याज सहित ₹ 7.39 करोड़ की राशि के दावे को शामिल नहीं किया गया।

सेन्ट्रल रजिस्ट्री ऑफ सेक्यूरिटीजेशन एसेट रिकन्सट्रक्शन एंड सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट आफ इंडिया	राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम लिमिटेड से आवासीय और वाणिज्यिक क्षेत्र की खरीद पर ₹ 44.24 करोड़ तक की पूंजीगत प्रतिबद्धता को प्रकट नहीं किया गया था।
हिन्दुस्तान प्रीफेब लिमिटेड	आकस्मिक देयताओं में ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं से मुख्य दावों और कम्पनी के विरुद्ध दर्ज विभिन्न न्यायालयों और अधिनिर्णय मामलों के ₹ 9.97 करोड़ शामिल नहीं हैं।
एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	‘रिफाइनरी कम पट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स’ की स्थापना से संबंधित टिप्पणियों में निम्न उदघोषित नहीं किया गया था: (i) राजस्थान सरकार द्वारा की गई परियोजना की पुनरीक्षा में 15 वर्षों की अवधि के लिए ₹ 56,000 करोड़ से अधिक से ब्याज मुक्त अग्रिम के लिए प्रतिबद्धता पर विचार, परियोजना के लिए भूमि का आवंटन और कम्पनी के पूंजीगत शेयर में उसकी इक्विटी की अपर्याप्तता (26%) और (ii) परियोजना को मार्च 2014 में वित्तीय विवरण के अनुमोदन तक राजस्थान सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी। परियोजना का कार्य रोका गया था और परियोजना में आगे का विकास और प्रगति राजस्थान सरकार की पुनरीक्षा और निर्णय के परिणाम पर निर्भर करती हैं।
कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड	अगस्त 2007 से 8% प्रति वर्ष की दर से ब्याज सहित ‘स्काई बस परियोजना’ के लिए रेल मंत्रालय के अनुसंधान डिज़ाइन एवं मानक संगठन द्वारा ₹ 25 करोड़ के अग्रिम की अव्ययित राशि की वापसी के लिए की गई मांग को उदघोषित नहीं किया गया है।
नेपा लिमिटेड	पूंजीगत कार्यों पर विधान न करने के कारण जिनहे अभी निष्पादित किया जाना था, पूंजीगत प्रतिबद्धता ₹ 6.15 करोड़ तक कम बताई गई थी।
एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाइ कम्पनी लिमिटेड	आकस्मिक देयताओं में निम्न शामिल नहीं हैं: (i) धारा 156 के तहत उठाई गई आय कर मांग - ₹ 22.56 करोड़ (ii) अप्रैल 2007 से मार्च 2014 की अवधि के लिए सेवा कर पर ब्याज और शास्ति - ₹ 138.30 करोड़ (iii) अप्रैल 2012 से मार्च 2014 की अवधि के लिए सेवा कर पर शास्ति और ब्याज - ₹ 9.94 करोड़

रेल विकास निगम लिमिटेड	कम्पनी अपनी लेखाकरण नीति के उल्लंघन में बिना किसी औपचारिक निर्माण समझौते के रेल मंत्रालय से प्राप्त कार्य के लिए विशेष उद्देश्य योजन द्वारा किए गए कार्य से संबंधित संविदा राजस्व की गणना कर रहा था। इसे उदघोषित नहीं किया गया था।
सांभार साल्ट्स लिमिटेड	यह तथ्य कि उसकी 424.80 एकड़ भूमि कब्जे के अन्तर्गत थी को उदघोषित नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षक की रिपोर्ट पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
डीजीईएन ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड	यह आपत्ति कि पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा व्यय तथा आंबटित के रूप में श्रमशक्ति और अन्य प्रशासनिक उपरिव्यय से संबंधित व्यय न तो अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण अथवा सामान्य रूप से निर्माण कार्य हेतु स्पष्ट रूप से आरोप्य है क्योंकि निर्माण अभी प्रारंभ होना था जो सही नहीं है क्योंकि व्यय विशिष्ट रूप से पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा विशेष प्रयोजन ईकाई के रूप में गठित कम्पनी द्वारा निष्पादित होने वाली ट्रांसमिशन परियोजना के लिए थे। यह व्यय पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड द्वारा भावी बोलीदाता से वसूलीयोग्य थे जिसे बोलीदाता के चयन पर कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा।

अन्य टिप्पणियाँ

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
चंडीगढ़ शेड्यूल कास्ट फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2012-13)	वाहनों के संबंध में प्रभारित मूल्यहास की दरें कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची XIV तहत निर्धारित न्यूनतम दरों से कम थीं।
एसबीआई कार्डस एंड पेमेंट सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	क्रेडिट शेष वापसी अज्ञात क्रेडिट और तीन वर्षों से अधिक से बकाया देयताओं के लिए जारी सहित पुराने चेकों के प्रबंधन पर परिवर्तित लेखाकरण नीति के दृष्टिगत पूर्व वर्षों में दर्ज ₹ 12.21 करोड़ की आय को विपरीत/समायोजित किए जाने की आवश्यकता है।

❖ असूचीबद्ध मानी गई सरकारी कम्पनियां

वित्तीय स्थिति पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
सिडकुल कॅनकर इन्फ्रा कम्पनी लिमिटेड	अन्य बैंक शेषों में तीन महीने की अवधि के लिए सृजित सविधि जमा के लिए ₹ 30 करोड़ की राशि शामिल हैं।

प्रकटन पर टिप्पणियां

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
अरावली पावर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड	आकस्मिक देयता को भूमि अधिग्रहण संशोधन अधिनियम 1984 की शर्तों में कम्पनी द्वारा अधिग्रहित भूमि के मालिकों को देय ब्याज और मुआवजे के गलत निर्धारण और देयताओं को शामिल न करने के कारण ₹ 1.21 करोड़ कम बताया गया।
एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसेस लिमिटेड	घरेलू उपभोक्ता को एलईडी लैम्पो के वितरण के समय उपभोक्ता से विक्रेता द्वारा संग्रहित एलईडी लेम्पो की लागत शामिल करने के कारण पूंजीगत प्रतिबद्धता को ₹ 0.74 करोड़ तक अधिक बताया गया।
रत्नागिरी गैस और पावर प्राइवेट लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> वैसो आयल एंड गैस लिमिटेड और पुंज लाएड लिमिटेड के संयुक्त उद्यम द्वारा किए गए ₹ 4.15 करोड़ की राशि के उत्पाद शुल्क/ मूल्य संवर्धन कर और सेवा कर की वापसी के दावे को आकस्मिक देयताओं के अन्तर्गत शामिल नहीं किया गया था। जुलाई 2014 में भारत के सनदी लेखाकारों के संस्थान की विशेषज्ञ सलाहकार समिति के मत की शर्तों में, कम्पनी ने न तो एनटीपीसी लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड जिसके कार्मिक कम्पनी में सेकडमेंट आधार पर नियुक्त किए गए थे द्वारा दिए गए स्पष्ट प्रभारों की उदघोषणा की न ही कम्पनी द्वारा अपनाए गए स्पष्ट लाभ योजना से स्पष्ट योगदान योजना के प्रभार की उदघोषण की थी।

लेखापरीक्षक के रिपोर्ट पर टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
एनर्जी एफिशियेंसी सर्विसस लिमिटेड	पूर्व अवधि व्यय से संबंधित योग्यता सही नहीं थीं क्योंकि ब्यूरो आफ एनर्जी एफिशियेंसी द्वारा परफोर्म-एचिव-ट्रेड योजना के तहत दत्त ₹ 7.15 करोड़ की आय 31 मार्च 2013 तक की अवधि से संबंधित थी। चूंकि कम्पनी ने 2012-13 में आय की पहचान में चूक की थी, कम्पनी ने सही रूप से राशि को पूर्व अवधि आय के रूप में बुक किया था।

अन्य टिप्पणी

कम्पनी का नाम	टिप्पणी
सिडकुल कॅन्कर इन्फ्रा कम्पनी लिमिटेड	'विविध आय' पर कम्पनी की लेखांकन नीतियां (सं. 14 और 16) परस्पर विरोधी थीं। कम्पनी ने कम्पनी के वित्तीय विवरण को तैयार करने में नीति सं. 16 अपनाई थीं।

❖ सांविधिक निगम जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक हैं

सांविधिक निगम जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक के रूप में कार्य करते हैं, के लेखाओं पर सीएजी द्वारा जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे ब्यौराबद्ध हैं:

(1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकारण

- (i) एनएचएआई द्वारा लेखों की उचित बहियों और अन्य सुसंगत अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित गंभीर रिजर्वेशनों से यह मत बनाना कि क्या एनएचएआई के वित्तीय विवरण भारत में सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुरूप सही और स्पष्ट दृष्टिकोण दे रहे थे जैसा नीचे गिनाया गया है:

(क) ₹ 123064.82 करोड़ के प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) को चालू परियोजनाओं पर व्यय के परियोजना वार विवरण के अभाव में सत्यापित नहीं किया जा सका।

(ख) पूंजीकरण/हस्तांतरण की प्रतीक्षा कर रही पूर्ण परियोजनाओं पर व्यय के तहत दर्ज ₹ 904.45 करोड़ की उधार लागत सामान्यतया स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों और एनएचएआई की लेखांकन नीति सं. 6.2 के उल्लंघन में थी। क्योंकि एनएचएआई ने परियोजना वार उधार निधियों के उपयोग से संबंधित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया था, आज तक पूर्ण और अपूर्ण परियोजनाओं की आवंटित कुल उधार लागतों की विशुद्धता का सत्यापन नहीं किया जा सका।

- (ग) पूर्ण परियोजना को 'वर्ष के लिए कुल स्थापना व्यय' का आबंटन भी सामान्यतः स्वीकृत लेखाकंन सिद्धान्तों के विरुद्ध था क्योंकि यह राजस्व व्यय था और पूर्ण परियोजनाओं को आवंटित नहीं किया जाना चाहिए। व्यय के परियोजना वार विवरण के अभाव में, लेखापरीक्षा ऐसे गलत बुकिंग के प्रभाव की मात्रा निर्धारित नहीं कर सकी।
- (घ) 'पूँजीकरण/हस्तारण की प्रतीक्षा कर रही पूर्ण परियोजनाओं पर व्यय' में एनएचएआई द्वारा 16 सड़क परियोजनाओं पर किए गए व्यय की लागत शामिल है जो टोलिंग अधिकारों सहित रियायतग्रहियों को बीओटी आधार पर सड़क को 6-लेन के उन्नयन हेतु सौंपे जा चुके थे। इसी प्रकार, पांच अन्य परियोजनाएं राज्य सरकारों को हस्तांतरित की जा चुकी थी। यद्यपि यह परियोजनाएं एनएचएआई के पास मौजूद नहीं थी, लेखों में कोई समायोजन नहीं किया गया था।
- (ङ) एनएचएआई 1995 में संचालित हो गया था और उसने पूर्ण राजमार्ग परियोजनाओं पर ₹ 78727.85 करोड़ का व्यय उदघोषित किया था। यद्यपि राष्ट्रीय राजमार्ग के उक्त हिस्से पहले से ही पूर्ण हो चुके थे और सामान्य जनता द्वारा प्रयोग किए जा रहे थे किन्तु अभी तक इनका पूँजीकरण नहीं किया गया था और कोई मूल्यहास प्रभारित नहीं किया गया था जो सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धान्तों और उनकी अपनी लेखाकरण नीति सं. 6.3 के विरुद्ध था।
- (ii) ₹ 667.71 करोड़ के सीडब्ल्यूआईपी कम पूँजी रिजर्व चूक के मामले में बैंक गारंटी के नकदीकरण और ठेकेदार/रियायतग्राही से वसूला गया हर्जाना एनएचएआई द्वारा संग्रहित/प्राप्त राशि को दर्शाता है। आय, आयकर रिफंड पर ब्याज इत्यादि जो सरकार को देय नहीं थे के कारण तीसरे पक्षों से प्राप्त यह आय उपरोक्त शीर्ष के तहत इसकी प्रकृति को पहचाने बगैर बुक की गई थी अर्थात् राजस्व या पूँजी। 2013-14 के दौरान एनएचएआई ने 31 मार्च 2014 तक प्रगति पर परियोजनाओं के साथ-साथ पूर्ण परियोजनाओं की लागत से आनुपातिक राशि का कटौती की थी। चूंकि पूर्ण परियोजनाओं के संबंध में वसूली गई राशि की पहचान नहीं हो सकी, ₹ 99.88 करोड़ की राशि की आनुपातिक कटौती सही नहीं थी और इसे लाभ और हानि खाते में जमा करवाना चाहिए था। यह एएस-10 के उल्लंघन में था।
- (iii) एनएचएआई ने दो सहायक कम्पनियों अर्थात् मै. मोरादाबाद टोल रोड कम्पनी लिमिटेड और मै. अहमदाबाद-बडोदरा एक्सप्रेसवे कम्पनी लिमिटेड में ₹ 345.21 करोड़ का निवेश किया। सड़क परियोजना और टोल संग्रहण अधिकार रियायतग्रहियों को उन्नयन हेतु क्रमशः दिसम्बर 2010 और जनवरी 2013 में हस्तांतरित किए गए थे किन्तु निवेश के मूल्य में कमी का प्रावधान नहीं किया गया था।
- इसके अतिरिक्त, एनएचएआई ने तीन सहायक कम्पनियों अर्थात् विशाखापट्टनम पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड, कोचीन पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड और पारादीप पोर्ट रोड कम्पनी लिमिटेड में ₹ 226.60 करोड़ का निवेश किया (शेयर आवेदन राशि सहित जिसका

आवंटन लम्बित है)। संचित हानियों के कारण, निवेश का मूल्य कम हो गया था जिसके परिणास्वरूप उनकी निवल सम्पत्ति का 50% से अधिक मूल्य का हास हुआ था। तथापि, एएस-13 के अनुसार कोई प्रावधान नहीं किया गया था।

- (iv) सहायक कम्पनियों को ऋण में दो सहायक कम्पनियों अर्थात् मै. मोरादाबाद टोल रोड कम्पनी लिमिटेड और मै. अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे कम्पनी लिमिटेड को दिया गया ₹ 69.47 करोड़ का ऋण शामिल है। सड़क परियोजना के साथ साथ टोल संग्रहण अधिकार रियायतग्राहियों को हस्तांतरित कर दिया गए थे और इन दोनों कम्पनियों को समाप्त करने का निर्णय पहले से ही निदेशक बोर्ड द्वारा ले लिया गया था। ऋण की वसूली की कोई संभावना नहीं थी।
- (v) वर्ष 2013-14 के दौरान सीएएलए संयुक्त बैंक खाते पर अर्जित ब्याज का लेखाकरण न करने के कारण सीएएलए जमा पर अर्जित ब्याज और देय ₹ 4.51 करोड़ कम बताए गए थे।
- (vi) सीएएलए मांग, आनुपातिक अर्थ वार्षिक वृत्ति, किया गया निर्माण कार्य और प्रमाणित, सकारात्मक अनुदान, रक्षा प्राधिकरण की भू अधिग्रहण मांग, वन विभाग को देय, बीओक्यू और अनुरक्षण कार्य में बिल के अन्तर के कारण देयता के गैर/कम प्रावधान के कारण अन्य देयताओं को ₹ 618.65 करोड़ कम बताया गया था।
- (vii) मध्यस्थता और कानूनी मामलों में एनएचएआई के प्रति दावों को समविष्ट ने करने के कारण आकस्मिक देयता ₹ 128.78 करोड़ तक कम बताई गई थी।
- (viii) 31 मार्च 2014 तक वाणिज्यिक बैंको द्वारा रियायतग्राहियों को दी गई आकस्मिक देयताएं ऋणों के 90% तक कम बताई गई थीं। ऋण की राशि को आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार रियायत करार के समाप्ति खण्ड के प्रावधानों के अन्तर्गत प्राप्त किया गया था। विवरणों के अभाव में, लेखापरीक्षा आकस्मिक देयताओं की गणना करने में असमर्थ था।
- (ix) 2011-12 के दौरान ₹ 10,000 करोड़ और वर्ष 2013-14 में ₹ 5000 करोड़ के टैक्स फ्री सिक्कूरड रीडिमेबल नान कर्न्टिबल बांडो को जारी करने के लिए प्रोस्पेक्टस में दिए गए 'अन्य विनियामक और सांविधिक उदघोषणाओं' के शीर्ष के अन्तर्गत 'सदस्य बोर्ड द्वारा विवरण' के अनुसार एनएचएआई ने स्वीकार किया कि:
- जनता को प्रत्येक बांड को जारी करने के अंश से प्राप्त की गई राशि को पृथक बैंक खाते में हस्तांतरित किया जाना चाहिए।
 - प्रत्येक जारी अंश तुलन पत्र में उचित पृथक शीर्ष के अन्तर्गत उपयोग सभी राशि, जिसके लिए राशि का उपयोग किया गया था, के सभी विवरण से उद्देश्य उदघोषित होना चाहिए।
 - प्रत्येक जारी अंश से अप्रयुक्त राशि के विवरण से तुलन पत्र में उचित पृथक शीर्ष के अन्तर्गत निवेश की गई ऐसी अप्रयुक्त राशि का तरीका उदघोषित होना चाहिए।

तथापि, एनएचएआई ने उपरोक्त उल्लिखित किसी शर्त का अनुपालन नहीं किया था और नोट्स आफ एकाउंट्स के नोट सं. 26 (एफ) द्वारा केवल एक सामान्य उदघोषणा की कि “एनएचएआई की सारी प्राप्तियों अर्थात् मंत्रालय से प्राप्त निधियां एनएचएआई कर मुक्त बांड जारी करने के माध्यम से बाजार उधारियां, धारा 54-ईसी के तहत एनएचएआई निधियों पूंजीगत लाभ कर छूट बांड, अधिशेष निधियों पर ब्याज इत्यादि को एनएचएआई निधियों में जमा किया जाता है और सभी व्यय एनएचएआई अधिनियम, 1988 के अनुच्छेद 18 के प्रावधानों के अनुसार इस निधि से किया जात है। एनएचएआई बांड प्राप्तियों के इस प्रकार उपयोग हेतु किसी पृथक खाते का रखरखाव नहीं किया जा रहा था।

इस प्रकार, उदघोषणा त्रुटिपूर्ण थी और लिस्टिंग समझौते के उल्लंघन में भी थीं।

- (x) एनएचएआई अधिनियम 1988 की धारा 10 के अनुसार एक निगमित निकाय होने के नाते एनएचएआई को ‘कारोबार सिद्धान्तों’ पर कार्य करना था। इसके अतिरिक्त, एनएचएआई अधिनियम 1988 की धारा 23 में प्रावधान है कि एनएचएआई के लेखों का वार्षिक विवरण सीएजी के परामर्श से भारत सरकार द्वारा विधिवत निर्धारित प्रारूप में होगा। निर्धारित प्रारूपों की अनुसूची 5 (स्थायी परिसम्पत्तियां) के अनुसार एक उप-शीर्ष ‘सड़क और पुल’ है जिसके लिए मूल्यहास की निर्धारित दर 5% थी तथापि, इस उपशीर्ष को 31 मार्च 2014 तक ₹ 78,727.85 करोड़ की पूर्ण सड़क परियोजनाओं के बावजूद (₹ 8204.22 करोड़ की भूमि की लागत सहित) और इसे सीडब्ल्यूआईपी के तहत दर्शाया गया था (पूंजीकरण/हस्तारण की प्रतीक्षा में पूर्ण परियोजनाओं पर व्यय) और सड़क परियोजनाओं की पूर्णता के बाद भी कोई मूल्यहास प्रदान नहीं किया गया था, जोकि अनुमोदित प्रारूप के अनुरूप नहीं था को प्रारंभ से खाली छोड़ दिया गया था। अनुमोदित प्रारूप में यह प्रावधान भी है कि लाभ और हानि खाते में अधिशेष/कमी को तुलन पत्र में अग्रेषित किया जाए तथापि, एनएचएआई वर्ष समाप्ति पर ‘स्थायी परिसम्पत्तियों-सीडब्ल्यूआईपी’ के तहत दर्ज चालू और पूर्ण परियोजनाओं की लाभ और हानि खाते में कमी को आबंटित कर रहा था। इसके अतिरिक्त, प्रारूप के अनुसार, राजमार्ग के अनुरक्षण हेतु सहायता अनुदान ओर उस पर व्यय की लाभ और हानि खाते में गणना की जानी चाहिए थी, तथापि, एनएचएआई उसे पूंजीगत खाते से समायोजित कर रहा था (टोल विप्रेषण में वापिस इत्यादि)। इस प्रकार, एनएचएआई ‘लेखों का वार्षिक विवरण’ के अनुमोदित प्रारूप के अनुसरण नहीं कर रहा था। परिणामतः लाभ और हानि खाते/वित्तीय विवरण से एनएचएआई की आय या व्यय का प्रकटन नहीं हुआ।
- (xi) एनएचएआई ने लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर ₹ 451.12 करोड़ तक के लेखों में सुधार किया, जैसा नीचे विस्तृत विवरण दिया गया है:

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	अन्तर् शीर्ष		अंतः शीर्ष	
		डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
1	परिसम्पत्तियों	449.69	9.18	1.10	1.10
2	देयताएं	0.28	440.84	-	-
3.	पी एवं एल खाता	0.05	-		
	कुल जोड़	450.02	450.02	1.10	1.10

(2) भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

- (i) सरकारी विभागों को दिए अग्रिमों के असमायोजन के कारण ठेकेदारों और आपूर्तिकर्ताओं को दिए गए ₹ 6.25 करोड़ अधिक बताए गए। फलस्वरूप 'वसूलीयोग्य दावे' भी उसी प्रभाव तक कम बताए गए थे।
- (ii) निगम ने सीएजी लेखापरीक्षा आपत्तियों के आधार पर ₹ 28.94 करोड़ तक के ड्राफ्ट लेखों में सुधार किया।

2.6 लेखांकन मानकों से विचलन

कम्पनी अधिनियम की धारा 211 की उपधारा (3सी) और उक्त अधिनियम की धारा 210 ए की उपधारा (1) के साथ पठित कम्पनी अधिनियम 1956 (1956 की 1) की धारा 642 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से लेखांकन मानक पर राष्ट्रीय सलाहकार समिति के साथ परामर्श से केन्द्रीय सरकार ने भारतीय लेखाकार संस्थान द्वारा यथा संस्तुत लेखांकन मानक 1 से 7 और 9 से 29 को नियम किया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने सूचित किया कि परिशिष्ट VI में ब्यौराबद्ध 33 कम्पनियाँ अनिवार्य लेखांकन मानकों से विचलित हुईं।

तथापि, अनपूरक लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि निम्नलिखित कम्पनियों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों का अनुपालन नहीं किया था जिन्हें उनके सांविधिक लेखाकारों द्वारा दर्शाया नहीं गया था।

लेखांकन मानक	कम्पनी का नाम	विचलन
एस-3 नकद प्रावह विवरण	आईएफसीआई लिमिटेड	कम्पनी ने न तो रोकड़ और रोकड़ बराबर संघटन की उदघोषणा की और न ही नीति निर्धारित की।
एस-5 अवधि के लिए शुद्ध लाभ और	अंतरिक्ष कारपोरेशन लिमिटेड	₹ 18.20 करोड़ तक की पूर्व अवधि मदे राशि की 'अन्य

	हानि, 'पूर्व अवधि मर्दे' और लेखांकन नीतियों में परिवर्तन	चंडीगढ़ शेडयूल कास्ट फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (2012-13)	आय' के तहत दर्शायी गई डूबे और संदेहपूर्ण के लिए रिजर्व और रियायत और सामान्य अच्छी निधि के लिए रिजर्व को अपवादित मर्दों के रूप में दर्शाया गया था।
		नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	फिल्म के प्रोडक्शन तथा टेलीविजन सीरियलो/अधिग्रहित कार्यक्रमों के प्रोडक्शन की लागत के सुधार के संदर्भ में लेखांकन नीतियों में परिवर्तन के कारण प्रभाव को नहीं बताया गया था।
एएस-9	राजस्व मान्यता	कोकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड	कम्पनी ने रेलवे कार्मिकों के लिए आवसीय निर्माण हेतु कोकण रेलवे वेलफेयर संगठन को दिए ₹ 19.03 करोड़ के ऋण पर 7 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज स्वीकृत किया था। ऋण के पुनः भुगतान के नियम एवं शर्तों वाला ऋण करार अभी भी क्रियान्वित होना था।
एएस-12	सरकारी अनुदान का लेखांकन	चंडीगढ़ शेडयूल कास्ट फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड (2012-13)	सरकारी अनुदानों में से की गई आय तथा व्यय को लाभ तथा हानि के विवरण के माध्यम से निकाला नहीं गया था।
		इंडियन रिनूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	उत्पादन के उद्देश्य हेतु विभिन्न पार्टियों के लिए रूफटॉप पीवी तथा छोटे सोलर पावर जेनरेशन प्रोग्राम हेतु भारत सरकार से प्राप्त ₹ 100 करोड़ का आवंटित अनुदान लेखा बहियों के माध्यम से रूटिंग के बिना प्रोत्साहन पर आधारित था। ₹ 27.02 करोड़ की बैंक गारंटी का उपयोग भी किया

			गया तथा राशि को लेखा बहियों से बाहर रखा गया था।
एएस-13	निवेश के लिए लेखांकन	आईएफसीआई लिमिटेड	निरन्तर नकदी हानि, प्रति शेयर नकारात्मक अर्जन, बेलेंस शीट पर भारी ऋण, निवल सम्पति का क्षरण, संचित हानि, लाभांश को प्रदर्शित न करने, कोर्ट में याचिका समाप्त करने को पारित/फाइल करने तथा निवेशी कम्पनी द्वारा पुनः क्रय प्रतिबद्धता न करने /पुनः क्रय प्रतिबद्धताओं में चूको के बावजूद, चार कम्पनियों के संदर्भ में निवेश मूल्य में कमी के लिए उपयुक्तता हेतु कोई निर्धारण नहीं किया गया था।
एएस-15	कर्मचारी लाभ	नेशनल प्रोजेक्ट कन्स्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड	कम्पनी ने बीमांकिक आधार पर लीव ट्रेवल छूट के लिए प्रावधान नहीं बनाया।
		रेलटेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कर्मचारी लाभ का मूल्यांकन शिक्षित बीमांकिक से नहीं करवाया गया था।
		राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	अवकाश नकदीकरण पर कम्पनी की लेखांकन नीति लेखांकन मानक के अनुसार नहीं थी।
एएस-18	संबंधित पार्टी उदघोषणाएं	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	संबंधित पार्टी के नामों की उदघोषणा नहीं की गई थी।
		हरदीकॉन लिमिटेड	संबंधित पार्टी सम्बन्ध के साथ-साथ प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के विवरण के संदर्भ में उदघोषणाएं नहीं दी गई थी।
		इंडिया एसएमई टेकनालॉजी सर्विस लिमिटेड	संबंधित पार्टी के नामों की उदघोषणा नहीं की गई थी।

		राजस्थान आर्गेनाइजेशन लिमिटेड	कंसल्टेंसी संबंधित पार्टी सम्बन्ध के साथ -साथ प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों के विवरण के संदर्भ में उदघोषणाएं नहीं दी गई थी।
एएस-20	प्रति शेयर आय	हरदीकॉन लिमिटेड	कम्पनी ने कम की गई ईपीएस की उदघोषणा नहीं की थी।
		राजस्थान आर्गेनाइजेशन लिमिटेड	कम्पनी ने ईपीएस की गणना से संबंधित अपनी लेखांकन नीति की उदघोषणा नहीं की।

2.7 प्रबन्धन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और कॉरपोरेट इकाई के अभिशासन के उत्तरदायित्व वाले व्यक्तियों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से व्युत्पन्न लेखापरीक्षा विषयों पर संवाद स्थापित करना है।

पीएसईज के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण आपत्तियाँ कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619(4) के अन्तर्गत सीएजी की टिप्पणियों के रूप में सूचित की गयी थी। इन टिप्पणियों के अलावा वित्तीय रिपोर्ट में अथवा रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सीएजी द्वारा पाई गई अनियमितताएँ अथवा त्रुटियाँ सुधारात्मक कार्रवाई के लिए प्रबन्धन पत्र के माध्यम से भी प्रबन्धन को संसूचित की गई थी। ये त्रुटियाँ सामान्यतया निम्नलिखित से सम्बन्धित थी-

- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं को लागू और व्याख्या करना,
- लेखापरीक्षा के कारण किये गये समंजन जो वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सके और
- कतिपय किसी सूचना की अपर्याप्तता अथवा अप्रकटीकरण जिस पर संबंधित पीएसई के प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि आगामी वर्ष में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वर्ष के दौरान 113 कंपनियों को 'प्रबंधन पत्र' जारी किए।

2.8 सांविधिक निगमों/सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की महत्वपूर्ण आपत्तियाँ

❖ सांविधिक निगम

वर्ष 2013-14 के लिए सांविधिक निगमों के लेखाओं पर उनके लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ नीचे दी गई हैं:

क्रम सं.	कॉरपोरेशन का नाम	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1.	सेन्ट्रल वेयरहाउसिंग कॉरपोरेशन	₹ 35.65 करोड़ की राशि की 56 पूर्ण स्वामित्व /पट्टाधारी भूमि के संदर्भ में शीर्षक विलेख कॉरपोरेशन के पक्ष में निष्पादन हेतु लम्बित थे।

❖ सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियां

वर्ष 2013-14 के लिए सूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर उनके लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

क्रम सं.	कॉरपोरेशन का नाम	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1.	एन्ड्रू यूले एंड कॉ. लिमिटेड	वेबफील लिमिटेड के इक्विटी शेयर में निवेश के मूल्य में कमी हेतु लेखाओं में कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
2.	चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड	कम्पनी की संचित हानि इसकी निवल सम्पत्ति से 50% अधिक थी। कम्पनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान नकद हानि वहन नहीं की थी।
3.	ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सेथुसमुद्रम कॉरपोरेशन लिमिटेड में ₹ 30.00 करोड़ के दीर्घकालिन निवेशों की हानि को स्वीकार नहीं किया गया था।
4.	हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> निवल उगाहीयोग्य मूल्य पर मालसूचियों के मूल्यांकन के अभाव में, मालसूची के प्रति बनाया गया प्रावधान अपर्याप्त था। प्रतिभूत ऋणों के ₹ 2642.85 करोड़ का बकाया अप्रतिभूति के अन्दर पुनः वर्गीकरण के लिए आवश्यक है क्योंकि सभी उत्पादन इकाईयां 10-11 वर्षों से अधिक के लिए बंद/अननुरक्षित थी, चल सम्पत्ति व्यर्थ, पुरानी तथा तकनीकी रूप से अनुपयुक्त हो गई थी, दीर्घावधि तक व्यापार प्राप्य राशियां अनिश्चित, विवादित तथा बिना वसूली किए रही और मालसूची अधिकतर स्ट्रैप के रूप में थी, वास्तव में संरक्षा के मूल्य को कम किया गया था।
5.	हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड	मालसूची में लीन अयस्क की 27.50 लाख टन की लागत के रूप में पहली बार कम्पनी द्वारा संगणित राशि की ओर ₹ 65.43 करोड़ सम्मिलित थे। यह वर्ष के दौरान कम्पनी की मालसूचियों के लेखांकन में एक परिवर्तन था।

6.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • पैनल ब्याज, निधि की अनुपयुक्तता के कारण हानि, मजदूरी संशोधन का उत्तरदायित्व तथा पट्टे किराए के संदर्भ में जेएनपीटी के दावे जल प्रभारों के प्रति ₹ 46.76 करोड़ की राशि का वित्तीय विवरण में कोई प्रावधान नहीं किया गया था। • प्रगति पर पूंजीगत कार्य में जेएनपीटी टैंक टर्मिनल परियोजना पर की गई ₹ 29.79 करोड़ की व्यय राशि सम्मिलित थी। निर्माण को छः वर्षों से अधिक के लिए निलंबित किया गया था तथा पट्टे किराए को जून 2010 में पट्टा अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात लेजर जेएनपीटी द्वारा रोका गया था। परियोजना निष्क्रिय, अपूर्ण तथा अधिक समय से बिना उपयोग की थी। • यद्यपि कम्पनी के निवल मूल्य को पूर्णरूप से कम किया गया था तथापि, वित्तीय विवरण को चालू व्यवसाय की अवधारणा के आधार पर बनाया गया था। कम्पनी ने कथित अधिनियम के तहत कम्पनी को रूग्ण घोषित करने के लिए रूग्ण औद्योगिक कम्पनी के (विशेष प्रावधान अधिनियम, 1985) की धारा 15(1) के अनुसार बीआईएफआर के संदर्भ में एक आवेदन किया था।
7.	हिन्दुस्तान फोटोफिल्म मेन्यूफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • निवल मूल्य को पूर्ण रूप से कम किया गया था तथा कम्पनी पिछले कई वर्षों से निरन्तर महत्वपूर्ण हानियां कर रही थी। • कम्पनी को 14 अक्टूबर 1995 को रूग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के प्रावधानों के अनुसार बीआईएफआर को सौंपा गया था। बीआईएफआर ने दिनांक 30 जनवरी 2003 के आदेश द्वारा एसआईसीए की धारा 20(1) के तहत कम्पनी को बन्द करने के लिए अपने मत की पुष्टि की थी। बीआईएफआर के आदेश के विरुद्ध कम्पनी की एएआईएफआर को अपील को कम्पनी को बन्द करने के लिए बीआईएफआर मत की पुष्टि करते हुए रद्द किया गया था। बीआरपीएसई ने जून 2013 के दौरान आयोजित समीक्षा बैठक में पाया कि कम्पनी का बहाली प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं था। उपरोक्त के अनुसार सीसीईए ने कम्पनी के समापन के लिए आगे कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया था। • कम्पनी की व्यवहार्यता संदेहास्पद थी क्योंकि वर्तमान

		उत्पादन मिश्रण तथा उत्पादन स्तर पर कम्पनी अपने द्वारा निर्मित उत्पादों के संदर्भ में भिन्नता लागत को भी वसूल करने की स्थिति में नहीं थी।
8.	इंड बैंक हाउसिंग लिमिटेड	कम्पनी ने वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों को देय राशि के पुनः भुगतान में चूक की थी।
9.	मद्रास फर्टीलाइजर लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कम्पनी ने पोषक तत्व आधारित सहायता के तहत पीएंडके फर्टीलाइजर का उत्पादन करने के लिए अतिरिक्त मुआवजे के लिए ₹ 20.80 करोड़ राशि की गणना की तथा इसे फर्टीलाइजर विभाग से प्राप्य दर्शाया। चूंकि अतिरिक्त मुआवजे के लिए योजना का विस्तार करने का प्रस्ताव वर्ष के अन्त तक फर्टीलाइजर विभाग द्वारा विचाराधीन था अतः भारत सरकार से वसूली योग्य के रूप में ₹ 68.20 करोड़ (पिछले वर्ष के संदर्भ में ₹ 47.40 करोड़ सहित) दर्शाना सही नहीं था। वर्ष के अन्त में संचित हानियां निवल मूल्य के 50% से अधिक थीं।
10.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> बीएसएनएल (₹ 23640.05 मिलियन) तथा डीओटी (₹ 84202.51 मिलियन) से वसूली योग्य राशि एक दूसरे के दावे के संदर्भ में विभिन्न लम्बित विवादों के कारण सामंजस्य तथा पुष्टि के अधीन थीं। कम्पनी ने आकलित आधार पर पूंजीगत कार्यों के लिए स्थापन उपरिशीर्ष आवंटित किया।
11.	स्टील ऑथेरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कम्पनी ने निम्नलिखित की व्यवस्था नहीं की थी: <ul style="list-style-type: none"> क.) निम्नलिखित राज्य में एन्ट्री कर <ul style="list-style-type: none"> उत्तर प्रदेश - ₹ 91.55 करोड़ छत्तीसगढ़ - ₹ 1071.28 करोड़ उड़ीसा - ₹ 214.81 करोड़ ख) विद्युत की आपूर्ति के लिए डीवीसी द्वारा दावे - ₹ 291.76 करोड़ राउरकेला स्टील संयंत्र के संदर्भ में, मूल्यहास तथा ब्याज को क्रमशः ₹ 104.92 करोड़ तथा ₹ 28.74 करोड़ तक कम किया गया था।

❖ असूचीबद्ध कम्पनियां

वर्ष 2013-14 के लिए असूचीबद्ध सरकारी कम्पनियों तथा मानी गई सरकारी कम्पनियों के लेखाओं पर अपनी लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा की गई महत्वपूर्ण टिप्पियां नीचे दी गई हैं:

क्रम सं.	कम्पनी का नाम	लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1.	एगीकलचर इंश्योरेंस कम्पनी ऑफ इंडिया लिमिटेड	वित्तीय वर्ष 2009-10 के दौरान, कम्पनी ने सरकारी परिपत्र संदर्भ एफ. सं. सी-13014/16/2004 इंस-1 दिनांक 23 दिसम्बर 2009 के अनुसार राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाओं को नया रूप देने की प्रस्तावना के रूप में भारत की समेकित निधि से ₹ 200 करोड़ राशि अदा की थी और कम्पनी बैलेस शीट में इसे 'अग्रिम तथा अन्य सम्पत्तियों' के रूप में दर्शा रही थी। यह राशि उपरोक्त योजना की प्रतिधारित लाभ/आरक्षित निधि, लम्बित पुनः निर्माण के प्रति समायोजित नहीं की गई थी।
2.	अंतरिक्ष कॉरपोरेशन लिमिटेड	मै. देवस मल्टीमीडिया लिमिटेड के साथ किये गये अनुबंध की शर्तों के अनुसार नियत तिथि के अंतर्गत एक पूर्णतः परिचालन सेटलाईट से पट्टे पर क्षमता प्रदान करने की इनकी विफलता के लिए यूएस \$ 5 मिलियन (₹ 21.89 करोड़) की विलंबित सुपुर्दगी जुर्माने के रूप में निर्णीत हर्जानेकी देयता के प्रति कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।
3.	असम अशोक होटल कॉरपोरेशन लिमिटेड	कम्पनी ने अपने द्वारा ली गई सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभार तंत्र के तहत देय सेवा कर नहीं बताया तथा उसका भुगतान नहीं किया था।
4.	भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड	शीर्ष 'अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियों' के तहत दर्शायी ₹ 68.13 करोड़ की राशि जेस्सप एंड कॉ. लिमिटेड में इक्विटी शेयर के 6,81,34,428 संख्या के विनिवेश के सामान्य मूल्य को प्रस्तुत किया। इस निवेश के प्रति ₹ 18.18 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी तथा पूर्व वर्षों में भारत सरकार को वापिस की गई थी। भारत सरकार से किसी निर्देश के अभाव में, वसूली में कमी के लिए ₹ 49.95 करोड़ की परिणामी हानि के लिए लेखों में आवश्यक प्रावधान नहीं बनाए गए थे।
5.	भारत संचार निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> डीओटी से लिए गए वित्तीय विवरणों, परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों (अनिश्चित देनदारियों सहित) को आन्तरिक संगणनाओं पर आधारित प्रबंधन द्वारा सत्यापित तथा

		<p>मूल्यांकित किया गया था तथा वे डीओटी से स्वामित्व, मूल्य तथा वर्गीकरण से संबंधित समेकन तथा पुष्टि के अधीन थी।</p> <ul style="list-style-type: none"> • वर्तमान परिसम्पत्तियों तथा वर्तमान देयताओं की क्रमशः ₹ 1737.79 करोड़ तथा ₹ 391.09 करोड़ की राशि में सम्मिलित डीओटी से तथा डीओटी को देय राशि पुष्टि तथा समेकन के अधीन थी। • पूंजीगत कार्य -प्रगति में, कुछ सर्कलो में अन्य बातों के साथ-साथ प्रास्थिति, मूल्य तथा प्रारम्भ प्रमाणपत्र प्राप्त करने के लम्बित विश्लेषण के कारण लम्बी समयावधि के लिए पूंजीकरण लम्बित बकाया सम्मिलित था। • राष्ट्रीय अधिक दूरी तथा अन्तर्राष्ट्रीय अधिक दूरी से राजस्व को पल्स के वास्तविक उपयोग के बजाय एक आकलित आधार पर पृथक किया गया इसके परिणामस्वरूप आकलित आधार पर लाइसेंस फीस की स्वीकृति हुई।
6.	ब्रह्मपुत्र वेली फर्टीलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कम्पनी ने ₹ 30.33 करोड़ राशि के मूल्य संवृद्धि (सहायता) दावों का पता लगाया था जिसे अधिसूचित तथा एफआईसीसी के साथ दर्ज किया जाना था। कम्पनी ने वर्ष हेतु फ्रेट सहायता दावों के लिए ₹ 9.64 करोड़ प्रदान किए थे परन्तु इसे अभी तक एफआईसीसी के साथ दर्ज नहीं किया गया। यद्यपि पिछले वर्षों में दावों के अंतिम निपटान लम्बन के रूप में इन दावों को दर्ज किया गया था तथापि, लेखों में किए इन प्रावधानों से उत्पन्न प्रभाव जांच के योग्य नहीं थे। • चूंकि वित्तीय वर्ष के अन्त पर ₹ 969.40 करोड़ की संचित हानि इसके निवल मूल्य से 50% अधिक थी, अतः कम्पनी, कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 2 (46एए) के अनुसार रूग्ण औद्योगिक उपक्रमों की सीमा के अन्दर आती है।
7.	ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड (2012-13)	<ul style="list-style-type: none"> • पूर्वोत्तर वर्षों में, उपार्जित शोधन तिथि 14 जून 2003 तक ₹ 3.47 करोड़ के संचयी लाभांश की देनदारी अनुपलब्ध थी। कम्पनी ने प्रत्येक ₹ 100 के 14 प्रतिशत संचयी शोध्य अधिमान शेयरों के लिए संचित लाभांश का प्रतिदान करने और उपलब्ध कराने में लगातार चूक की थी।

		<ul style="list-style-type: none"> • कम्पनी ने अनुसूची VI में निर्धारित अनुसार प्रकटन आवश्यकता का अनुपालन करने में चूक की थी जिसे प्रतिदान की पूर्व तिथि से एकसाथ बताए जाने वाले किसी शोधय प्राथमिक शेयर पूंजी के 'प्रतिदान की शर्तों' की आवश्यकता थी। • इसी प्रबंधन के अन्तर्गत सहायक कम्पनियों तथा कम्पनियों से ₹ 52.76 करोड़ के बकाया देय सहित दीर्घावधि ऋण तथा अग्रिम के लिए प्रदान की गई बकाया ₹ 0.29 करोड़ की एक राशि का ₹ 52.47 करोड़ का अन्तर कम न करने की स्थिति और/या परिसमापन के मद्देनजर उपलब्ध करवाना अपेक्षित था। • सहायक कम्पनी एल्गिन मिल्ज कंपनी लिमिटेड जिसे कम्पनी 7 सितम्बर 2007 से उपयोग कर रही थी, के परिसर के उपयोग हेतु किराये तथा अन्य व्यय के लिए कोई प्रावधान नहीं था।
8.	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	<ul style="list-style-type: none"> • कुछ यूनिटों की भूमि के स्वामित्व तथा पट्टा विलेख का कार्यान्वयन लम्बित था। • लम्बे समय से खनन पट्टा समाप्त हो चुका था। • बिक्री आदेशों से उत्पन्न उत्तरदायित्वों के गैर-निर्धारण तथा गैर प्रावधान आदिलाबाद टाउनशिप के बाहर सरकारी भूमि के संदर्भ में राजस्व विभाग से प्रतीक्षित थे। • कम्पनी द्वारा लिए ₹ 37.00 करोड़ के आन्तरिक कॉरपोरेशन ऋण पर ब्याज 31 मार्च 2005 की कट ऑफ तिथि के पश्चात प्रदान नहीं किया गया था। • कम्पनी ने गैर-वर्तमान परिसम्पत्तियों के प्रति वर्तमान परिसम्पत्तियों के तहत बन्द यूनिटों के संदर्भ में ₹ 43.12 करोड़ की सम्पूर्ण मालसूची को इस तथ्य के बावजूद दर्शाया था कि मालसूची लम्बे समय से पड़ी थी तथा इसकी यूनिट के सामान्य परिचालन चक्र में खपत करने की सम्भावना नहीं थी क्योंकि बीआईएफआर स्वीकृति योजना के अनुसार यूनिट को बिक्री के लिए रखा गया था।
9.	सेंट्रल कोटेज इंडस्ट्रीज कापोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जवाहर व्यापार भवन, नई दिल्ली के परिसर के संदर्भ में स्वामित्व विलेख क्रियान्वयन हेतु लम्बित थे।
10.	सेन्ट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड	113 पोतों में से 93 पोत परिचालन में नहीं थे। कम्पनी ने पोत के किसी वसूली योग्य मूल्य के उपयोग अथवा उसे प्राप्त करने में किसी मूल्य का आकलन नहीं किया था।

11.	एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विस लिमिटेड	मूल्य संवर्धित कर (डीवैट अधिनियम 2004 के तहत 5% की दर पर) को पार्टियों के साथ व्यक्तिगत करारों के अनुसार 'एलईडी आधारित सोलर लाइटिंग सिस्टम' की आपूर्ति हेतु प्रस्तुत बीजको पर डीवैट अधिनियम, 2004 की धारा 2(1) (जेडसी) के उल्लंघन में कम्पनी द्वारा प्रभारित नहीं किया गया था।
12.	हिन्दुस्तान फर्टीलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • लेखों को भारी संचित हानियों जिसने कम्पनी की निवल सम्पत्ति को पूर्णतया समाप्त कर दिया था, के बावजूद 'गोइंग कंर्सन' के लिए लागू सिद्धांत पर तैयार किया गया था। कम्पनी की भारी हानि काफी संदेह पैदा करती है कि क्या कम्पनी 'गोइंग कंर्सन' के रूप में स्वयं को जारी रखने में सक्षम होगी तथा जैसाकि समंजन की सीमा जो कम्पनी की परिसम्पत्तियों तथा उत्तरदायित्वों के लिए आवश्यक होगी जिसे गोइंग कंर्सन की स्थिति को बनाए रखने के लिए समाप्त किया जाता है, पर टिप्पणी नहीं की जा सकती। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनः निर्माण बोर्ड को संदर्भ दिए गए थे तथा मामले का अंतिम निपटान लम्बित था। कम्पनी का परिचालन अस्तित्व भारत सरकार के निर्णय पर आधारित था। • 1121.885 एकड़ भूमि के संबंध में करार निष्पादित करना बाकी था। • कम्पनी ने ₹ 119.75 करोड़ की ऋण राशि के रूप में समाप्त पट्टे के कारण कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट के दावे को स्वीकार नहीं किया था। • ब्रह्मपुत्र वैली फर्टीलाइजर कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय कैमिकल्स फर्टीलाइजर लिमिटेड तथा फर्टीलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के लेन-देन के संदर्भ में बकाया को समाहित नहीं किया गया था तथा उनसे कोई पुष्टिकरण प्राप्त नहीं हुआ था।
13.	हिन्दुस्तान इंसाइकटीसाइड्स लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कम्पनी ने ₹ 0.50 करोड़ की अनुमानित कर देयता के बावजूद आयकर अधिनियम की धारा 115 जेबी के अनुसार न्यूनतम विकल्प कर (मैट) के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया था। • कुछ यूनिटों ने अनावश्यक/खराब स्टॉक की पहचान नहीं की थी तथा इसे अच्छे स्टॉक के रूप में माना था।

14.	हिन्दुस्तान कॉरपोरेशन लिमिटेड	<p>पेपर</p> <ul style="list-style-type: none"> • कम्पनी ने एनपीपीसी तथा जेपीएमएल की कुछ परियोजनाओं के लिए नागालैंड पेपर एंड पल्प कम्पनी लिमिटेड (एनपीपीसी) तथा जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड (जेपीएमएल), सहायक कम्पनियों से ₹ 21.39 करोड़ की कमीशन आय की राशि को स्वीकृत किया था क्योंकि दोनो कम्पनियों के लिए परियोजना कार्यान्वयन को भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार कम्पनी को सौंपा गया। भारत सरकार से किन्हीं निर्देशों तथा एनपीपीसी और जेपीएमएल के संबंधित बोर्ड से मंजूरी के अभाव में, यह नहीं कहा जा सकता कि क्या सहायक कम्पनियां परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कम्पनी को किसी कमीशन का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थी। • कम्पनी ने 31 मार्च 2013 तक ₹ 138.94 करोड़ की निवल आस्थगित कर परिसम्पत्ति को स्वीकृत किया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए, अतिरिक्त निवल आस्थगित कर परिसम्पत्ति को स्वीकृत नहीं किया गया था। चूंकि पर्याप्त करयोग्य आय की आभासी निश्चितता की पूर्ति नहीं की जा सकती थी अतः आज तक निवल आस्थगित कर परिसम्पत्ति स्वीकृति की प्रस्तुति पर विचार नहीं किया जा सकता। • कृषि उपकर के लिए ₹ 0.68 करोड़ की देयता हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया था।
15.	हिन्दुस्तान ऑयल लिमिटेड	<p>वेजीटेबल कॉरपोरेशन</p> <ul style="list-style-type: none"> • कम्पनी की सभी विनिर्माण इकाइयों को बन्द कर दिया गया था। परिसमापन प्रक्रियाओं को पहले ही आरम्भ किया जा चुका था तथा भारत सरकार द्वारा परिसमापक को नियुक्त किया गया था। इसमें काफी नुकसान तथा नकारात्मक नकद प्रवाह थे। कम्पनी के निवल मूल्य को काफी कम किया गया था। गोइंग कन्सर्न के रूप में जारी रखने हेतु सत्व की क्षमता के विषय में काफी अनिश्चितता थी। ऐसी स्थिति में कम्पनी अपनी मौजूदगी की सामान्य अवधि में अपनी परिसम्पत्ति को रिलीज करने तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में पूर्ण तथा पर्याप्त रूप से सक्षम नहीं हो सकती। • कम्पनी भारत सरकार को अपनी स्वीकृत राशि जो ₹ 20.15 करोड़ थी, के अनुसार ब्याज व्यय की भारी राशि प्रदान कर रही थी। ऐसे भारी ब्याज का भुगतान करने के लिए इनकी क्षमता के विषय में काफी अनिश्चितता थी।

16.	एचएमटी चीनार वॉचिज लिमिटेड	चूंकि कम्पनी ने अपना परिचालन बन्द कर दिया था तथा माल सूचियों को हटाया नहीं गया था, अतः नॉन मूविंग मालसूचियों के लिए प्रावधान अपर्याप्त था।
17.	एचएमटी वॉचिज लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • वित्तीय विवरण को यह मानते हुए तैयार किया गया था कि कम्पनी गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहेगी। कम्पनी का परिचालन इसकी संस्थापित कार्य क्षमता की तुलना में नगण्य था। कम्पनी ने परिचालन से हुई हानि वहन की थी तथा निवल पूंजी अभाव था जिसने गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रहने के लिए कम्पनी की क्षमता के विषय में काफी संदेह उत्पन्न किया। • अग्रिमों से सम्बंधित ₹ 8.90 करोड़ की राशि सहित अन्य वर्तमान देयताओं को बिल्डिंग को सम्मिलित करते हुए भूमि की बिक्री के प्रति प्राप्त किया गया जिसके लिए बिक्री हेतु एक करार किया गया था तथा भूमि का कब्जा क्रेता को दिया गया था। लेन-देन को बिक्री विलेख के कार्यान्वयन हेतु सम्बंधित प्राधिकरणों से स्वीकृति लम्बित बिक्री के रूप में मान्यता नहीं दी गई थी। • वॉच विपण डिविजन में निर्धारित परिसम्पत्तियों के सकल ब्लॉक तथा दर्ज परिसम्पत्ति के बीच ₹ 1.89 करोड़ के अन्तर को समाहित नहीं किया गया था।
18.	एचओसी चेमातुर लिमिटेड	कम्पनी को मिथाइल दीलसोचीनेट के 20,000 एमटी प्रति वर्ष के निर्माण के लिए रसायनी, रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र में परियोजना की स्थापना के लिए एचओसीएल तथा सीईएबी के बीच एक सयुक्त उद्यम के रूप में गठित किया गया था। इसी बीच में परियोजना व्यवहार्यता उच्चतर इनपुट लागत तथा परियोजना वित्त के अभाव में कम बिक्री मूल्य की वजह से हानि उठानी पड़ी। परियोजना व्यवहार्यता में शामिल अनिश्चितता के संदर्भ में धारण कम्पनी अर्थात एचओसीएल ने कम्पनी के समापन को चुनने का निर्णय लिया। काफी अनिश्चितता की मौजूदगी ने गोइंग कंसर्न के रूप में जारी रखने के लिए कम्पनी की क्षमता के विषय में महत्वपूर्ण संदेह की भूमिका निभाई। कम्पनी व्यवसाय की सामान्य अवधि में अपनी परिसम्पत्तियों को रिलीज करने तथा अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम नहीं हो सकती।

19.	इंडिया ट्रेड प्रमोशन संगठन	<ul style="list-style-type: none"> • वर्ष के दौरान कम्पनी द्वारा योजनाओं की स्वीकृति के बिना 31 मार्च 2014 तक रिलीज की गई ₹ 11.75 करोड़ की राशि के निष्पादन संबंधी भुगतान तथा वेतन के लिए (31 मार्च 2014 तक संचित ₹ 27.27 करोड़) ₹ 3.37 करोड़ का प्रावधान किया गया था। • निर्धारण वर्षों 2009-10, 2010-11 तथा 2011-12 के लिए क्रमशः ₹ 86.06 करोड़, ₹ 36.76 करोड़ तथा ₹ 33.08 करोड़ की आयकर की परिमाणित देयता, आगामी वर्षों 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के लिए अपरिमाणित आयकर देयता तथा इन सभी निर्धारण वर्षों के लिए ब्याज तथा जुर्माने यदि कोई दो, तो उनके लिए अपरिमाणित देयताओं को प्रदान नहीं किया गया। यद्यपि, ₹ 52.29 करोड़ की राशि के प्रतिदाय तथा भुगतान की राशि को परिसम्पत्ति के रूप में दर्शाया गया था। • ₹ 26.82 करोड़ और अपरिमाणित ब्याज और शास्तियों यदि कोई हो, तो उनके लिए सेवा कर मांग एवं कारण बताओ हेतु कोई प्रावधान नहीं था।
20.	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल लिमिटेड (2011-12)	<ul style="list-style-type: none"> • ऋशिकेश संयंत्र में, सीआईएसएफ सहित आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को विलम्बित भुगतान पर ब्याज, वीआरएस के तहत कर्मचारियों को भुगतान, विलम्बित प्राप्तियों पर कर्मचारियों से प्राप्य ब्याज, पोर्ट क्लीयरेंस, विलम्ब शुल्क क्लीयरिंग तथा अग्रेषण प्रभारों को नकद आधार पर संगणित किया जा रहा था जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 209(3) के प्रावधानों का उल्लंघन था। • कम्पनी ने निर्धारण वर्ष 2004-05 से 2010-11 तक आयकर विवरणियां फाइल नहीं की थी जिस पर आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 271 बी तथा 271 एफ के तहत जुर्माना लग सकता था।
21.	इंडियन सीआरईडीए लिमिटेड	<p>ऑयल बायोफ्यूल</p> <p>कम्पनी ने भूमि पर ब्याज को मूल्यांकित नहीं किया था जिसे सीआरईडीए द्वारा गैर-नकदी पूंजी आवंटन के रूप में लाया गया था। कम्पनी ने 31 मार्च 2013 तक आईओसीएल द्वारा निवेशित राशि के आधार पर सीआरईडीए को अपेक्षित शेयर पूंजी आवंटित करके 74:26 का शेयर पूंजी अनुपात बनाए रखने की नीति को अपनाया था।</p>

22.	इस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड	₹ 45.92 करोड़ की राशि के 'निर्णीत हर्जाने' की ओर देयताओं को प्रदान नहीं किया गया था।
23.	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन	<ul style="list-style-type: none"> कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड से प्राप्त ₹ 10 करोड़ की 50 एकड़ विकसित भूमि को रिकॉर्ड में नहीं लिया गया था। कर्नाटक सरकार द्वारा बाहरी अवसंरचना के विकास हेतु कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड को रिलीज ₹ 5.85 करोड़ की राशि को दर्ज नहीं किया गया था। 2008-09 से 2013-14 के लिए आयकर हेतु कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।
24.	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> कम्पनी के विरुद्ध दर्ज दावे तथा ₹ 1587.80 करोड़ की राशि के लिए मध्यस्थता (उद्यमपुर श्रीनगर बारामुला रेल लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में) के तहत आने वाले दावे को आकस्मिक देयता के रूप में नहीं माना गया था। अनुमानित आधार पर आकस्मिकता हेतु ₹ 10.01 करोड़ के मध्यस्थता अवार्ड अनुदान पर कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।
25.	मुरादाबाद टॉल रोड कम्पनी लिमिटेड	परिसम्पत्तियों (अन्य परिसम्पत्तियों के साथ मुरादाबाद बाईपास) जो पहले ही मै. मुरादाबाद बरेली एक्सप्रेसवे लिमिटेड को 4 दिसम्बर 2010 से प्रभावित सहित हस्तांतरित की गई थी, को ₹ 58.69 करोड़ मूल्य पर 1 अप्रैल 2011 को पुनः बहाल किया गया तथा पुनः बहाल परिसम्पत्ति जो 31 मार्च 2012 तक पुस्तकों में पड़ी थी, को 1 अप्रैल 2012 को शून्य मूल्य पर एनएचएआई को हस्तांतरित किया गया था इसके परिणामस्वरूप कम्पनी को ₹ 51.12 करोड़ की हानि हुई। यद्यपि, इसकी पुष्टि के लिए कोई सहायक सबूत, करार, पुष्टि आदि उपलब्ध नहीं कराए गए थे।
26.	नेशनल बाईसिकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सरकार द्वारा ब्याज की संगणना के लिए अपनाए गए भिन्न तंत्र के कारण सरकारी ऋणों के संदर्भ में 31 मार्च 2014 तक ₹ 108.46 करोड़ की ब्याज राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं बनाया गया था।
27.	नेशनल सेन्टर फोर ट्रेड इन्फोरमेंशन	बैंक की राशि तथा कम्पनी की संचित निधि से किए ₹ 4.00 करोड़ के अन्य जमा को 'निवेश' के रूप में दर्शाया गया जो कम्पनी अधिनियम, 1956 की अनुसूची-VI के अनुसार नहीं था।

<p>28.</p>	<p>नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन</p>	<ul style="list-style-type: none"> • केवल वित्तीय वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के लिए पैनल ब्याज प्रभारित किया गया था, बोर्ड या सामान्य निकाय के पास यह दर्शाने के लिए कोई दस्तावेज/नीति/प्रस्ताव नहीं था कि कम्पनी ने पूर्व वर्षों के लिए पैनल ब्याज को छोड़ दिया था भले ही इसे कभी भी प्रभारित नहीं किया गया था। यद्यपि ब्याज को पार्टी - वार संगणित किया गया था फिर भी पार्टियों को न तो अधिसूचित किया गया था न ही पार्टियों के पृथक लेखों में बनाने के लिए प्रविष्ट किया गया था। • बकाया कम्प्यूटरीकृत ऋण तथा मैनुअल रूप से बनाए लेजर लेखों के कुल योग के बीच भिन्नता को समेकित नहीं किया गया। • कम्पनी ने अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए 30 जून 2011 तक "एनएचएफडीसी कर्मचारी ग्रुप ग्रेच्युटी स्कीम" नाम की एक पृथक ग्रेच्युटी ट्रस्ट बनाई थी। कम्पनी ने अपनी पुस्तकों में सभी योगदान तथा व्ययों को दर्ज किया था जबकि इसे ट्रस्ट की बुको में होना चाहिए था। निम्नलिखित कार्य नहीं किए गए थे: <ul style="list-style-type: none"> (क) ट्रस्ट को आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 12ए के तहत पंजीकृत नहीं किया गया था, (ख) किसी लेखापरीक्षक की नियुक्ति नहीं की गई थी और इस कारण वित्तीय वर्ष 2011-12, 2012-13 और 2013-14 में कोई लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। (ग) न्यास विलेख और कंपनी द्वारा इस खण्ड पर सहमति कि ग्रेच्युटी ट्रस्ट के सभी खर्च कंपनी द्वारा वहन किए जाएंगे। आयकर प्राधिकरण में ग्रेच्युटी ट्रस्ट गैर -पंजीकरण ट्रस्ट की आय पर आयकर देयता लगायी जाएगी जो कंपनी पर अतिरिक्त भार होगा।
<p>29.</p>	<p>नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड</p>	<p>₹ 986.57 करोड़ राशि के चेक बैंक में जमा किए गए किन्तु बैंक द्वारा क्रेडिट नहीं किया गया, ₹ 952.12 करोड़ राशि का विवरण बैंक में बिना पहचान के था और बही में नहीं दर्ज था, और ₹ 146.98 करोड़ की राशि (बही खाता अधिशेष और बैंक विवरण के बीच तथा जेम और जिनेसिस डाटाबेस के बीच कुल अंतर) का अभी भी समाधान किया जाना था।</p>

30.	नेशनल जूट मैनुफैक्चरिंग कारपोरेशन लिमिटेड	इसकी सहायक बर्डस जूट एण्ड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड के लेखाओं को कंपनी के वित्तीय विवरण में शामिल नहीं किया गया था।
31.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कारपोरेशन लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी द्वारा किए गए कार्य बिल क्लॉइंट/परियोजना प्राधिकरणों द्वारा कटौती किए गए ₹ 59.98 करोड़ की सुरक्षा जमा राशि के प्रति संदेहास्पद वसूली राशि के प्रति ₹ 10.15 करोड़ का प्रावधान किया गया था, हालांकि कंपनी ने ₹ 179.17 करोड़ की उप ठेकेदार बिलों से क्लॉइंट द्वारा कटौती और /या वापसी की थी। अतः संदिग्ध वसूली के लिए किया गया प्रावधान आवश्यकता से अधिक था। • स्टोर/स्पेयर्स/सामान/परिसंपत्तियों जो अन्य पक्षों के पास पड़ी थी उनका न तो प्रबंधन द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया और न ही इनको रखने वाले पक्षकारों से कोई प्रमाण पत्र लिया गया था। • कंपनी /उप-ठेकेदारों/क्लॉइंट/परियोजना प्राधिकरण के बीच विवाद के कारण समाप्त कर दिए गए ठेकों के मामले में कंपनी ने उप-ठेकेदार से प्राप्त दावे पर आधारित क्लॉइंट पर विभिन्न दावा बिल लगाया था, ऐसे बिलों की कंपनी की लेखांकन नीति (सं. 6(vi)) के अनुसार बही खाते में गणना नहीं की गई थी।
32.	नेशनल टेक्सटाईल्स कंपनी लिमिटेड	31 मार्च 2014 को दावायोग्य दर्शाए गए ₹ 92.30 करोड़ की समेकित मैट क्रेडिट हकदारी, मैट के संबंध में उपलब्ध क्रेडिट हेतु लेखांकन पर मार्गदर्शिका टिप्पणी के अनुरूप नहीं थी।
33.	न्यू मंगलोर पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड	कंपनी ने 30 मई 2012 के बजाए 4 दिसम्बर 2013 को 34.98 किमी. सड़क की विलम्बित पूंजीकरण के कारण ₹ 7.31 करोड़ का मूल्यहास, ₹ 12.68 करोड़ की वित्तीय लागत और ₹ 0.20 करोड़ की प्रशासनिक लागत प्रभारित नहीं किया था जो लेखांकन मानकों से भिन्न है।
34.	नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन लिमिटेड	कंपनी ने वसूली योग्य कर ₹ 527.31 करोड़ की राशि दर्शायी थी। कंपनी ने कर देयता की मूर्तता पर किसी आय को मान्यता नहीं दी थी जबकि सीईआरसी विनियम 2004 के अनुसार यह अनुमन्य था। चूंकि कंपनी के पास वित्तीय वर्ष 2008-09 तक चालू प्रत्येक परियोजना की कर देयता और भिन्न वसूली योग्य कर का परियोजनावार डाटा नहीं है, वसूली योग्य कर की कुल राशि का निर्धारण नहीं किया जा सकता।

35.	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • कंपनी ने फ्लाइंग ऐश उपयोगिता निधि पर ब्याज आय की गणना अन्य आय के अंतर्गत आय में नहीं की थी। • एनटीपीसी /एनवीवीएन द्वारा बनाई गई फ्लाइंग ऐश उपयोगिता निधि के लिए नीति दिशा-निर्देशों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मंजूरी नहीं दी गई थी जबकि निधि का 3 नवम्बर, 2009 की अधिसूचना द्वारा प्रावधान किया गया था।
36.	पीईसी लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10 के लिए भारत सरकार की सार्वजनिक वितरण योजना के अंतर्गत खाद्य तेल की आपूर्ति में घाटे की क्षतिपूर्ति के प्रति औसतन ₹ 113.95 करोड़ की वसूली योग्य दावे की वसूली पर टिप्पणी नहीं की गई। • भुगतान योग्य व्यापार में ₹ 502.27 करोड़ क्रेता का क्रेडिट शामिल था जिसके परिणामस्वरूप विविध क्रेडिटर्स को अधिक बताया गया तथा गैर-सुरक्षित ऋण को कम बताया गया।
37.	रिचर्डसन एण्ड कूडास (1972) लिमिटेड	<ul style="list-style-type: none"> • चालू व्यवसाय की अवधारणा की उपयुक्तता का आधार अन्य बातों के साथ-साथ उसकी देयताओं, ऋण पुनर्निर्धारण पर पुनर्गठन को पूरा करने हेतु आवश्यक निधियों पर निर्भर था। • कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 383ए के प्रावधान में एक पूर्णकालिक कंपनी सचिव की आवश्यकता थी, जिसे नहीं किया गया। वित्तीय विवरण की प्रमाणिकता से संबंधित धारा 215 के प्रावधान को भी पूरा नहीं किया गया था।
38.	सांभर साल्टस लिमिटेड	<p>इसने अपनी साल्टस रिफाइनरी की स्थापना पर किए गए व्यय को चालू कार्यगत पूंजी के अंतर्गत दर्शाया था जबकि उक्त रिफाइनरी 2010-11 में चालू की गई थी। फलस्वरूप मूल्यहास को वर्ष में प्रभारित नहीं किया गया था।</p>
39.	स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	<p>2007-08 से संबंधित ₹ 5.80 करोड़ की अवितरित उत्पादन सब्सिडी राशि भोपाल शाखा की बहियों में पड़ी थी। इस सब्सिडी को लगभग 700 किसानों को वितरित किया जाना था, जिसमें से वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक केवल 139 की पहचान की गई थी। पहचान किए गए किसानों में से कंपनी ने 23 ऐसे किसानों को सब्सिडी की राशि का भुगतान किया गया था और बाकी 116 किसानों को भुगतान नहीं किया</p>

		गया था क्योंकि इन किसानों का बैंक विवरण कंपनी के पास नहीं था। कंपनी के पास शेष 561 किसानों से संबंधित विवरण उपलब्ध नहीं थे।
40.	एसटीसीएल लिमिटेड	<p>कंपनी का वित्तीय विवरण चालू व्यवसाय की अवधारणा के अनुसार तैयार किया गया था, इस बात पर ध्यान दिए बिना कि निम्नलिखित संकेतक यह दर्शा रहे थे कि चालू व्यवसाय की अवधारणा पर वित्तीय विवरण तैयार करना उपयुक्त नहीं था।</p> <ul style="list-style-type: none"> • कंपनी के अंशधारकों ने 12 सितम्बर 2013 को हुई अपनी असाधारण सामान्य बैठक में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 433(ए) के तहत कंपनी बंद करने की मंजूरी दी थी। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने दिनांक 26 अगस्त 2013 के अपने पत्र में कंपनी बंद करने तथा कर्मचारियों को स्वैच्छिक निवृत्ति योजना का प्रस्ताव देने हेतु केन्द्रीय केबिनेट की मंजूरी से अवगत कराया। तदनुसार कंपनी नियमित कर्मचारियों को वीएसएस का प्रस्ताव दिया था और 26 नवम्बर 2013 को कर्नाटक उच्च न्यायालय में कंपनी बंद करने की याचिका दी थी। • यूको बैंक जिससे कंपनी ने अल्पावधि ऋण लिया था, ने भी कर्नाटक उच्च न्यायालय में कंपनी के विरुद्ध वाइंडिंग अप याचिका दायर की थी। • कंपनी घाटे में थी और नकदी हानियों से जूझ रही थी। • बैंकों के संघ (यूको बैंक को छोड़कर) ने कंपनी के विरुद्ध ऋण वसूली प्राधिकरण में केस दाखिल किया था और वित्तीय परिसंपत्तियों की जांच और पुनर्गठन तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) तहत बैंकों ने नोटिस भी जारी किया था। उपरोक्त के आधार पर बैंकों ने दो अधिग्रहण नोटिस जारी किया था, एक बैदागी स्थित फैक्टरी भूमि और भवन पर और दूसरी छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश स्थित फैक्टरी भूमि और भवन पर।
41.	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन	कंपनी ने ₹ 56.52 करोड़ की आयकर देयता और ₹ 24.33 करोड़ के भिन्न कर के लिए कोई प्रावधान नहीं किया था।
42.	द हैंडीक्रॉफ्ट एण्ड हैण्डलूम्स एक्सपोर्ट	दिल्ली स्थित तीन संपत्तियों का अधिकार पत्र कंपनी के पक्ष में नहीं किया गया था। अधिकार पत्र के पंजीकरण पर

	कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	स्टॉम्प शुल्क की देयता को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।
43.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	कंपनी के लेखे चालू व्यवसाय की अवधारणा के आधार पर बनाए गए थे। ₹411.31 करोड़ की समेकित हानि कंपनी की निवल सम्पत्ति ₹ 8.44 करोड़ से अधिक हो गयी थी जिसके कारण उस वर्ष में तथा आगामी वर्ष के दौरान कंपनी का नकद हानि हुई। अलाभकारी औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान अधिनियम), 1985 की धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ओ) के अनुसार कंपनी "अलाभकारी औद्योगिक कंपनी" थी। कंपनी ने 2004-05 के दौरान बीआईएफआर को संदर्भ दिया था। इस प्रकार कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में योग्यता की निरंतरता संदिग्ध थी और बीआईएफआर/ भारत सरकार द्वारा किसी पुनर्उत्थान कार्यक्रम पर निर्भर था। इसके अतिरिक्त 27 नवम्बर 2013 के अपने निर्णय में बीआईएफआर ने अपना मत दिया कि कंपनी की अपनी वित्तीय देयताओं को पूरा करते समय एक व्यावहारिक समय के भीतर अपनी हानियों से अपने बचत को बढ़ाने की संभावना नहीं थी और तर्कसंगत रूप से और लोकहित में यह भी पाया इसे अलाभकारी औद्योगिक कंपनी (विशेष प्रावधान अधिनियम), 1985 की धारा 201 के तहत बंद कर दिया जाए।

2.9 सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ए) के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उठाई गई आपत्तियां।

कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ए) के अंतर्गत सीएजी के पास यह निर्देश देने की शक्ति है कि धारा 619 की उप-धारा (2) के अनुसरण में नियुक्त लेखापरीक्षक द्वारा कंपनी के खातों की किस प्रकार लेखापरीक्षा की जाएगी और उसके कार्यों के निष्पादन से संबंधित किसी भी मामले में ऐसे लेखापरीक्षक को निर्देश दें।

सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(ए) के अंतर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुपालन में, सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपनी पूरक रिपोर्टों में महत्वपूर्ण आपत्तियां दर्शाई थी। कई कंपनियां जिनमें सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा कमियां पाई गई थीं और सुधार की आवश्यकता पर प्रकाश डाला था, जिसे अनुलग्नक VII से XVI में दर्शाया गया है। कंपनियों की संख्या के साथ आपत्तियों के क्षेत्र नीचे दर्शाए गए हैं।

क्र.सं.	आपत्ति क्षेत्र	सीपीएसईज की संख्या
1.	लेखांकन नीतियां और पद्धतियां (त्रुटिपूर्ण लेखांकन नीतियां और पद्धतियां)	8
2.	व्यावसायिक जोखिम (व्यावसायिक जोखिम के पहचान की प्रक्रिया या तो अपर्याप्त थी या अस्तित्व में नहीं थी)	22
3.	लेखा और वित्तीय नियंत्रण प्रणाली (लेखा और वित्तीय नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने की आवश्यकता है)	59
4.	परिसम्पत्तियां (सूची सहित) (मितव्ययी आदेश मात्रा, एबीसी विश्लेषण, भौतिक सत्यापन प्रणाली या सूची का अनुरक्षण पर्याप्त नहीं/त्रुटिपूर्ण था)	58
5.	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली (आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली को मजबूत किये जाने की आवश्यकता है)	40
6.	ईडीपी लेखापरीक्षा (सॉफ्टवेयर/हार्डवेयर, आईटी नीतिगत/योजना के लिए उपयुक्त सुरक्षा नीति में सुधार की आवश्यकता है)	69
7.	लागत प्रणाली (औपचारिक लागत नीति का अभाव या मौजूदा लागत नीति प्रभावी नहीं है)	16
8.	अनुबंध प्रदान करना और निष्पादन (मानीटरिंग और समायोजन को ठेकेदारों तथा आपूर्तिकर्ताओं के अग्रिमों को मजबूत करने की आवश्यकता है)	17
9.	देनदार और लेनदारों के शेष की पुष्टि (देनदार/लेनदारों के शेष की पुष्टि प्राप्ति की त्रुटिपूर्ण प्रणाली)	22
10.	धोखाधड़ी और जोखिम (अकुशल धोखाधड़ी जोखिम नीति/चेतावनी नीति)	68

2.10 वित्तीय रिपोर्टिंग पर आन्तरिक नियंत्रण

आंतरिक नियंत्रण वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता, प्रचालनों की प्रभावकारिता एवं दक्षता, लागू कानूनों एवं विनियमों का अनुपालन और धोखाधड़ी एवं दुर्विनियोजन की जांच के सम्बन्ध में इकाई के उद्देश्य की उपलब्धि के बारे में यथोचित आश्वासन के साथ शासन और प्रबन्धन द्वारा बनायी गयी एवं कार्यान्वित की गई प्रक्रिया है।

आंतरिक नियंत्रण उपाय संगठन के आकार और जटिलता के साथ अलग-अलग हो सकते हैं। प्रभावी और दक्ष आंतरिक नियंत्रण उपाय सुनिश्चित करते हैं कि:

- ❖ तैयार किए गए वित्तीय विवरण सही एवं यथार्थ तस्वीर प्रस्तुत करते हैं, और
- ❖ विश्वसनीयता का स्तर जिस पर सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्टिंग के प्रयोजन के लिए वित्तीय विवरणों का उपयोग कर सकते हैं।

कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 619(3)(क) के अंतर्गत सीएजी द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार सांविधिक लेखापरीक्षकों से पर्याप्तता अथवा कम्पनी द्वारा अपनाये गए आंतरिक नियंत्रण उपाय और देनदारों, रोकड एवं बैंक शेषों सहित स्थायी एवं चालू परिसम्पत्तियों के प्रबन्धन, रक्षा करने और सत्यापन के क्षेत्रों में सुधार, यदि कोई है, का सुझाव देने की रिपोर्ट प्रस्तुत करना अपेक्षित है।

निम्नलिखित के सम्बन्ध में सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सूचित त्रुटियां संबंधित थी:

- अचल परिसम्पत्ति रजिस्टर का अनुचित रख-रखाव,
- निवेश नीति का न होना,
- पृथक सतर्कता विभाग का सृजन न होना, और
- सरकारी कम्पनियों तथा मानी गई सरकारी कम्पनियों आदि सहित में इन्वेंटरी स्टॉक होल्डिंग के लिए प्रतिमान का नियतन न करना।

विभिन्न कम्पनियों में आंतरिक नियंत्रण के अभाव से संबंधित विवरण परिशिष्ट-XVII में दिए गए हैं। विभिन्न कंपनियों में निहित कमियों के क्षेत्र को नीचे दर्शाया गया है:

क्र.सं.	त्रुटि का क्षेत्र	सीपीएसईज की संख्या
1	अचल परिसम्पत्तियां	7
2	आंतरिक कार्यविधियों एवं प्रचालनात्मक दक्षता	4
3	निवेश	7
4	सूची	9
5	आंतरिक लेखापरीक्षा	12
6	आईटी नीति	5
7	सतर्कता	14